# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष–1999

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

## नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 में जागरूकता कार्यक्रम

# APCAA

## Awareness Programme in Citizenship (Amendment) Act-2019


उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष–1999)

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

# आमुख

## कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

**उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय**

विश्वविद्यालय सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों, घटनाक्रम एवं समसामयिक स्थिति-परिस्थिति से निरपेक्ष नहीं रह सकते। यदि देश के समक्ष किसी मुद्दे पर असमंजस या विरोधाभास मुखरित हो तो उसे दूर करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़कर रचनात्मक कदम उठाने चाहिए। उक्त भाव-भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय ने 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' की विषय वस्तु में जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से जागरूकता पाठ्यक्रम जनवरी 2020 के सत्र से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' को लेकर जो एक द्वन्द्व एवं धुन्ध किंचित लोगों में फैला हुआ है, उसकी कोई सार्थकता एवं औचित्य नहीं है। बार-बार जो आशंका कतिपय लोगों द्वारा उठाई जा रही है कि यह नागरिकता को छीनने वाला या नागरिकता का अपहरण करने वाला अधिनियम है, यह वास्तविकता से परे एवं निराधार है। 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। पड़ोस के तीन देशों क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित होकर पलायन या आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर देने वाला यह कानून है। वस्तुतः यह कानून मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता को ध्यान में रखकर पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को गरिमामय जीवन प्रदान करने का एक सकारात्मक प्रयास है। यह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित है एवं अब यह संविधान का अंग है, जिसका सम्मान करना भारत के हर एक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है।

प्रस्तुत पुस्तक, जो 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' में जागरूकत पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है, पांच इकाईयों क्रमशः *'भारत में नागरिकता एंव अद्यतन संशोधन'*; *'अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं नागरिकता'*; *'CAA 2019 : उद्भव एवं कारण'*; *'CAA 2019 : अधिनियम एवं विशेषताएँ'* एवं *'CAA 2019 : प्रभाव, बहस एवं मुद्दे'* में विभक्त है। प्रत्येक इकाई में विषयवस्तु की विवेचना तथ्यों पर आधारित है एवं भाषा बोधगम्य एवं सम्प्रेषणीय है। पाठ्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कतिपय लोगों के मानस पटल पर नागरिकता संशोधन कानून के प्रति जो भ्रम व्याप्त है, उसका निवारण एवं निराकरण हो तथा इस कानून के प्रति जागरूक होकर व्यक्ति अपने समुदाय, अपने मुहल्ले, गांव, समाज तक इसको पहुँचाये। 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संचालित यह पाठ्यक्रम समाज को जागरूक बनाने के साथ-साथ भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करेगा जो समाजहित एवं राष्ट्रहित में एक सार्थक एवं सशक्त प्रयास है। मेरा अटूट विश्वास है कि लेखकों का यह प्रयास 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' की मंशा को जन-जन में पहुँचाने एवं जागरूक बनाने में समर्थ सिद्ध होगा।

**( प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह )**
कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

# नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में जागरूकता कार्यक्रम

---


| | |
|---|---|
| **इकाई-I**<br>**भारत में नागरिकता एवं अद्यतन संशोधन** | 3-14 |
| **इकाई-II**<br>**अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं नागरिकता** | 15-21 |
| **इकाई-III**<br>**CAA 2019: उद्भव एवं कारण** | 22-27 |
| **इकाई-IV**<br>**CAA 2019: अधिनियम एवं विशेषताएं** | 28-34 |
| **इकाई-V**<br>**CAA 2019: प्रभाव, बहस एवं मुद्दे** | 35-47 |
| **परिशिष्ट**: पाकिस्तान सरकार के कानून और श्रम मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सम्बोधित करते त्यागपत्र का मूल पाठ का हिंदी अनुवाद | 48-71 |

**परामर्श समिति:**

**प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह** - माननीय कुलपति - अध्यक्ष

**डॉ. अरुण कुमार गुप्ता** - कुलसचिव - सचिव

**विशेषज्ञ समिति:**

1. **प्रो. सुधांशु त्रिपाठी,** आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं प्रभारी निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. **डॉ. संतोषा कुमार,** सह-आचार्य, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. **श्री सुनील कुमार**, सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास, समाज विज्ञान विद्याशाखा , उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. **श्री रमेश चन्द्र यादव**, शैक्षणिक परामर्शदाता, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. **श्री मनोज कुमार**, शैक्षणिक परामर्शदाता, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

**सम्पादक:**

- **डॉ. संतोषा कुमार,** सह-आचार्य, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

**लेखक:**

- **डॉ. त्रिविक्रम तिवारी,** सहायक निदेशक / सहायक आचार्य, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

© **उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय**, **प्रयागराज।**

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से डॉ. अरुण कुमार गुप्त, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित-2020 ।

**मुद्रक :** *चन्द्रकला यूनिवर्सल प्राईवेट लिमिटेड ४२/७ जवाहर लाल नेहरू रोड प्रयागराज 211002*

# इकाई- 1 :

# भारत में नागरिकता एवं अद्यतन संशोधन

**इकाई की रूपरेखा**


1.0 उद्देश्य

1.1 नागरिकता की परिभाषा

1.2 भारतीय संविधान में नागरिकता

1.3 नागरिकता अधिनियम 1955 का वर्तमान स्वरुप

1.3.1 नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान

1.3.1.1 जन्म से नागरिकता

1.3.1.2 वंशक्रम द्वारा नागरिकता

1.3.1.3 रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता

1.3.1.4 देशीयकरण द्वारा नागरिकता

1.3.1.5 अर्जित भू-भाग द्वारा नागरिकता

1.3.2 नागरिकता समाप्ति के प्रावधान

1.3.2.1 नागरिकता का परित्याग

1.3.2.2 दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर

1.3.2.3 सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर

1.4 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की नागरिकता

1.5 नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधन

1.6 सारांश

1.7 उपयोगी पुस्तकें

1.8 सम्बन्धित प्रश्न


## 1.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य पाठक को भारतीय संविधान के नागरिकता सम्बन्धी उपबंधों से अवगत कराने के साथ-साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा खोने के तरीकों की जानकारी देना तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के वर्तमान स्वरुप तथा उसमें हुए अद्यतन परिवर्तनों का परिचय देना है।

## 1.1 नागरिकता की परिभाषा

नागरिकता को किसी व्यक्ति की संप्रभु राज्य अथवा राष्ट्र की विधिक सदस्यता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नागरिकता की विधिक स्थिति, व्यक्ति के राज्य के प्रति न सिर्फ कर्तव्य को स्पष्ट करती है, अपितु यह व्यक्ति के अधिकारों का भी आधार है। निष्कर्षतः नागरिकता किसी राज्य में व्यक्ति के विधिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में नागरिकता का स्थान राष्ट्रीयता ले लेती है, परंतु भारत जैसे देश जहां संघ कि इकाई जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब इत्यादि में अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यह दोनों शब्द समानार्थी हो जाते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में दुनिया के अन्य संविधानों के समान ही नागरिकता का प्रावधान किया गया। परंतु विभाजन की त्रासदी झेल रहे राष्ट्र के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं था क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या प्लवित अर्थात् अस्थिर अवस्था में थी। कारण यह था की धार्मिक आधार पर विभाजित हुए पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग अपने मूल देश भारत की ओर आ रहे थे और साथ ही समाज का एक वर्ग पाकिस्तान पलायन कर रहा था। ऐसे में भारत आ रहे लोगों को नागरिकता प्रदान करना तथा भारत छोड़कर जा रहे लोगों की नागरिकता को समाप्त करना आवश्यक था। साथ ही तत्कालीन सरकार द्वारा भविष्य में भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के भारत आगमन का विकल्प खुला रखा गया था। अतः ऐसे प्रावधानों का समावेश करना भी आवश्यक था, जो भविष्य में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान कर सके। इन कारणों के परिणामस्वरूप भारत की संविधान सभा को नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर अंतिम निर्णय तक पहुंचने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगा।

## 1.2 भारतीय संविधान में नागरिकता

भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आमतौर पर किसी भी देश में निवास करने वाले लोगों को- नागरिक एवं विदेशी- दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

नागरिक को कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में वर्णित मूल अधिकार कुछ संवैधानिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति- अनुच्छेद 58(1)(अ); उपराष्ट्रपति अनुच्छेद-67(3) (अ); उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश- अनुच्छेद 217(2), 214 (3); राज्यपाल- अनुच्छेद 157; महा-न्यायवादी- अनुच्छेद 76; महाधिवक्ता- अनुच्छेद 165 आदि को धारण करने का अधिकार; एवं, केंद्रीय एवं राज्य विधान मंडलों के प्रतिनिधियों को चुनने एवं इन संस्थाओं का सदस्य बनने का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं।

संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित संपूर्ण विधि प्रस्तुत नहीं करता। यह केवल उन वर्गों के बारे में उल्लेख करता है जो संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक माने गए थे तथा नागरिकता संबंधी शेष बातों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने की तिथि पर भारत में रह रहे ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जो स्वयं या जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो अथवा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत का निवासी रहा हो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 7 भारत से प्रव्रजन कर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की समाप्ति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 8 भारतीय उत्पत्ति के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान करता है, जो विदेशों में रहते हैं। अनुच्छेद 9 भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की समाप्ति का उपबंध करता है, जिन्होंने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है। अनुच्छेद 10 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 के अनुसार भारत का नागरिक है या माना जाता है उसका यह अधिकार अनंतिम ना होकर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता अर्जन, समाप्ति तथा इस संबंध में किसी अन्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 11 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद कानून बनाकर किसी को नागरिकता प्रदान कर सकती है या किसी की नागरिकता समाप्त कर सकती है अथवा नागरिकता अर्जन या समाप्ति के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उपबंधों

को अधिनियमित कर सकती है। इस संदर्भ में संसद की शक्ति अनंतिम है, यद्यपि नागरिकता प्रदान या समाप्त करने हेतु संसद द्वारा कानून पारित करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता संबंधी नियमों के विनियमन के प्रयोजन से 'भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955' पारित किया। यह स्वतंत्र भारत का नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम है, जो की नागरिकता प्राप्ति के संदर्भ में संपूर्ण विधि है। बाद में विभिन्न वर्षों में अभीष्ट परिवर्तन हेतु विभिन्न नागरिकता (संशोधन) अधिनियमयों द्वारा 'भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955' में व्यापक संशोधन किए गए हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' भी इसी पूर्वर्ती अधिनियम में आवश्यक संशोधन करता है।

## 1.3 नागरिकता अधिनियम 1955 का वर्तमान स्वरुप

नागरिकता अधिनियम 1955 का वर्तमान स्वरूप, उसके मूल स्वरूप से कुछ भिन्न है जिसका कारण इस अधिनियम में हुए बहुतेरे संशोधन हैं। इस अधिनियम में, विभिन्न परिस्थितियों के चलते कुल 10 छोटे-बड़े संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में 1986, 2003, 2015 और 2019 के संशोधन प्रमुख हैं। नागरिकता अधिनियम में दसवां व नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में हुआ है। यह अधिनियम 9 व 11 दिसंबर 2019 को क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा से पारित होने के पश्चात् 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इसे 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया।

नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 24 धाराएं हैं। इसमें धारा 1 में अधिनियम का नाम बताया गया है तथा धारा 2 में अधिनियम में प्रयोग किया गए विभिन्न शब्दों की व्याख्या की गई है। धाराएं 3 से 7 नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न उपाय बताती हैं तथा धाराएं 7A-7D ओवरसीज नागरिकता अर्थात विदेशी भारतीयों की नागरिकता के लिए उपबंध प्रदान करती हैं। धारा 8 से 10 नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान निश्चित करती हैं। इसके बाद की धाराएं पूरक प्रकृति की हैं तथा वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को निश्चित

करती हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में दो अनुसूचियां हैं। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण इस प्रकार है-

## 1.3.1 नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान

इस अधिनियम के अधीन संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित पांच प्रकार किसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

### 1.3.1.1 जन्म से नागरिकता

नागरिकता अधिनियम की धारा 3 यह उपबंधित करती है कि निम्नांकित दशाओं में एक व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है:-

**(a)** प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के पश्चात् किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो,

**(b)** 1 जुलाई 1987 के पश्चात् किंतु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 के पूर्व जन्मा हो और जिनके माता-पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे,

**(c)** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 पर या उसके पश्चात जहाँ **(i)** उसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, या (ii) उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।

गौरतलब है कि धारा 3 अपनी उपधारा 2 में अपवाद का प्रावधान देता है जिसके अनुसार उपरोक्त नियम किसी विदेशी संप्रभु के दूत एवं दुश्मन राष्ट्र के किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है।

### 1.3.1.2 वंशक्रम द्वारा नागरिकता

नागरिकता अधिनियम की धारा 4 यह प्रावधान करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् भारत के बाहर पैदा हुआ हो तो वो वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है। किंतु यदि किसी व्यक्ति का पिता वंशक्रम से भारत का नागरिक नहीं है तो वह व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक की-

(a) उसका जन्म किसी भारतीय कॉउंसलेट में एक निश्चित अवधि के भीतर पंजीकृत ना करा लिया गया हो या

(b) उसका पिता उसके जन्म के समय भारत सरकार के अधीन सेवारत हो

विदेशों में पैदा होने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता उपर्युक्त शर्तों को पूरी करने से प्राप्त होती है।

## 1.3.1.3 रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता

धारा 5 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देकर भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। रजिस्ट्रीकरण द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं-

(a) व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र देने के 5 वर्ष पहले से भारत में आमतौर से निवास कर रहा हो;

(b) भारत में जन्मा व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर से निवास कर रहा हो;

(c) भारतीय नागरिकों की पत्नियां;

(d) भारतीय नागरिकों के नाबालिक बच्चे;

(e) प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिक।

## 1.3.1.4 देशीयकरण द्वारा नागरिकता

धारा 6 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है और प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीयकरण के लिए आवेदन दे सकता है। कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है तो वह आवेदनकर्ता को देशीयकरण का प्रमाणपत्र दे सकती है। देशीयकरण तथा भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है -

(a) किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ भारतीय देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हों;

(b) उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दे दी हो;

(c) वह देशीयकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले 12 वर्ष तक या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। केंद्रीय सरकार यदि उचित समझे तो उस अवधि को घटा सकती है;

(d) या उक्त 12 वर्षों से के पहले के कुल 7 वर्षों में कम से कम 4 वर्ष तक उसने भारत में निवास किया हो या भारत सरकार की नौकरी में रहा हो;

(e) वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो;

(f) वह राज्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करे;

(g) उसे भारतीय संविधान द्वारा मान्य भाषा का सम्यक् ज्ञान हो;

(h) देशीयकरण के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत उसका भारत में निवास करने या भारत सरकार की नौकरी में रहने का इरादा हो।

धारा 6 में इन नियमों के साथ-साथ एक अपवाद भी दिया गया है। केंद्रीय सरकार उपर्युक्त शर्तों में से सभी या किसी को उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं करेगी जिन्होंने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानवीय प्रगति हेतु विशिष्ट सेवा की हो। ऐसे व्यक्तियों को उपर्युक्त शर्तों को पूरी किए बिना ही देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

#### 1.3.1.5 अर्जित भू-भाग द्वारा नागरिकता

यदि कोई नया भू-भाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगी जो उस भूमि के सम्मिलित किए जाने पर भारत के नागरिक हो जाएंगे। यह प्रावधान धारा 7 में दिया गया है।

### 1.3.2 नागरिकता समाप्ति के प्रावधान

नागरिकता अधिनियम, नागरिकता समाप्ति के विषय में भी प्रावधान रखता है। चाहे वह नागरिकता इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई हो या

संविधान के उपबंधों के अनुसार प्राप्त की गई हो। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता समाप्ति तीन प्रकार से हो सकती है-

### 1.3.2.1 नागरिकता का परित्याग

कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक है, भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है। इसके लिए उसे घोषणा करनी होगी और इस घोषणा के रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। युद्ध काल में की गई घोषणाओं को भारत सरकार रोक सकता है। जब कोई पुरुष भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उसके साथ-साथ उसके अवयस्क बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। ऐसा कोई भी अवयस्क बच्चा भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है यदि वह वयस्क होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय नागरिक होने के बारे में घोषणा कर दे।

### 1.3.2.2 दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर

धारा 9 के अनुसार यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी ने देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किन्तु युद्ध काल में यह नियम लागू नहीं होता।

### 1.3.2.3 सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर

नागरिकता अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। किंतु केंद्र सरकार को इस प्रकार का कोई कदम लोक हित को ध्यान में रखकर उठाना होता है। निम्नांकित परिस्थितियों में केंद्र सरकार ऐसा आदेश जारी कर सकती है-

- **(i)** रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता कपट से, मिथ्या निरूपण से, या किसी सारवान तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया था;
- **(ii)** उस व्यक्ति ने व्यवहार या भाषण द्वारा अपने को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाहीन दिखाया है;

**(iii)** किसी ऐसे युद्ध में, जिसमें भारत एक पक्ष हो, अवैध रूप से दुश्मन से व्यापार या संचार किया हो;

**(iv)** वह अपने रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण से 5 वर्ष की अवधि के अंदर कम से कम 2 वर्ष के लिए दंडित किया गया हो;

**(v)** यदि वह लगातार 7 वर्षों से सामान्यतया भारत से बाहर निवास करता रहा हो।

किंतु केंद्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत आदेश देने से पहले उस नागरिक को एक लिखित नोटिस दे और उसमें उन आधारों का उल्लेख करें, जिनके आधार पर उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इस स्थिति में यदि वह नागरिक अपने मामले को जांच समिति को सौंपने की मांग करता है तो केंद्रीय सरकार उस मामले को जांच समिति को सौंपने के लिए बाध्य है। सामान्यतया इस समिति की रिपोर्ट सरकार का मार्गदर्शन करती है जिसके अनुसार ऐसे आदेश दिए जाएं।

## 1.4 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की नागरिकता

धारा 2 के खण्ड (e) के अनुसार विदेशी नागरिक से तात्पर्य ऐसे नागरिक से है जो इस अधिनियम की धारा 7A के तहत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर है। विदेशों में रहने वाले भारतीय बहुत लंबे समय से दोहरी नागरिकता की मांग करते आए थे। किंतु भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं रखता है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, 2005 लाया गया। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के सभी देशो के भारतीय मूल के व्यक्तियों को उपलब्ध है। विदेशी नागरिकता के संबंध में प्रावधान 7A, 7B, 7C व  7D धाराओं में दिए गए हैं।

## 1.5 नागरिकता अधिनियम में किए गए संशोधन

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है भारतीय नागरिकता अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में कई संशोधनों के बाद पहुंचा । अब तक हुए कुल संशोधन एवं उनके मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं-

1. प्रथम संशोधन 1957: अधिनियम बनने के महज 2 साल बाद हुआ यह संशोधन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ।
2. द्वितीय संशोधन 1960: प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
3. तृतीय, चतुर्थ व पंचम संशोधन, 1985, 1986 व 1987: उपरोक्त दोनों संशोधन सूक्ष्म प्रकृति के थे और इनका कोई व्यापक असर ना तो अधिनियम पर पड़ा और ना ही जनमानस पर। नागरिकता अधिनियम में तीन बड़े संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1985, 1986 व 1987 में किए गए। यह संशोधन उस समय किया गया जब असम अवैधानिक आप्रवासी समस्या से जूझ रहा था। यह समस्या आगे चलकर एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी और यह आंदोलन असम समझौते के साथ 1985 में शांत हुआ। असम समझौते के अनुसार भारत सरकार को नागरिकता कानून में संशोधन करने पड़े तथा इन संशोधनों में *jus soli* अर्थात जन्म भूमि संबंधी अधिकारों को अपनाना पड़ा और उससे संबंधित नागरिकता के प्रावधानों को लाया गया। 1986 के संशोधन में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करते हुए यह प्रावधान लाया गया कि प्रार्थी के माता-पिता में से कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
4. छठवां संशोधन, 1992: यह संशोधन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आया।
5. सातवां संशोधन, 2003: 1986 के संशोधन के बाद यह दूसरा बड़ा संशोधन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 में लागू हुआ। इस संशोधन में, माता या पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने की शर्त के साथ एक और शर्त यह जोड़ी गई कि वे अवैधानिक प्रवासी नहीं होने चाहिए।
6. आठवां संशोधन, 2005: यह संशोधन अपने विदेशी नागरिकता के प्रावधानों के लिए जाना जाता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि संशोधन के द्वारा ऐसे कई प्रावधान लाए गए जिनसे विदेशी नागरिकता का मार्ग सुगम हुआ। मूलतः यह सुविधा अनुसूची 4 में दिए गए कुछ देशों यथा- अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस इत्यादि जैसे बड़े देशों के नागरिकों को ही दी गयी थी।

7. नौवां संशोधन, 2015: इस संशोधन द्वारा चौथी अनुसूची को हटा दिया गया, जिसमें वे देश उल्लिखित थे, जहां के नागरिकों को भारत की विदेशी नागरिकता मिलनी थी। इस प्रकार विदेशी नागरिकता का प्रावधान सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों पर लागू किया गया। PIO (Persons of Indian Origin) कार्ड को समाप्त करके उसे ओवरसीज कार्ड में मिला दिया गया।
8. दसवां संशोधन 2019: हाल ही में आया यह संशोधन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित होकर पलायन किए हुए वहां के अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है।

## 1.6 सारांश

विभाजन के परिणामस्वरुप स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय संविधान में नागरिकता के उपबंधों का समावेश करने में २ वर्ष से अधिक का समय लगा। ऐसा इस कारण हुआ की बड़ी संख्या में लोग भारत आ रहे थे और पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। अंततः संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सम्बन्धी मूलभूत बातों का उल्लेख किया गया तथा इस सन्दर्भ में व्यापक नीतियों के निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई (अनुच्छेद 11)। इस प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 'नागरिकता अधिनियम 1955' पारित किया। समय के साथ इस अधिनियम में अनिवार्य संशोधनों की आवश्यकता हुई और संसद ने इन समयानुरूप परिवर्तनों को मूर्तरूप दिया। सन् 1957 में प्रथम संशोधन से प्रारम्भ होकर यह अधिनियम अब तक कुल 10 संशोधनों से परिष्कृत हो चुका है। 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019' इन परिवर्तनों के क्रम का 10वाँ चरण है, जो कि 'नागरिकता अधिनियम 1955' में आवश्यक एवं अनिवार्य संशोधन करता है।

## 1.7 उपयोगी पुस्तकें


- डी. डी. बसु, भारत का संविधान: एक परिचय, नई दिल्ली : लेक्सिसनेक्सिस, 2019 (12वाँ संस्करण)।
- एम. वी. पायली, ऐन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कंस्टीटूशन, नई दिल्ली : विकास, 2004 (चौथा संशोधित संस्करण)।

- सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नई दिल्ली : एन.बी.टी., 2017।
- जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, इलाहाबाद : सी.एल.ए., 2012 (45वाँ संस्करण) ।


## 1.8 सम्बन्धित प्रश्न

(1) नागरिकता से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबंधों की चर्चा करें।

(2) भारत में नागरिकता अर्जन के तरीकों की व्याख्या करें।

(3) 'भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955' का परिचय देते हुए भारत में नागरिकता समाप्ति के प्रावधानों का विश्लेषण करें।

(4) 'भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955' में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? सभी संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।

* * * * *

# इकाई - 2 :
# अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं नागरिकता

**इकाई की रूपरेखा**


**2.0** उद्देश्य

**2.1** अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा

**2.2** अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता एवं नागरिकता

**2.3** राष्ट्रीयता प्राप्त करने एवं खोने के तरीके

**2.4** विराष्ट्रिकता

**2.5** शरणार्थी

**2.6** विराष्ट्रिकता उन्मूलन के प्रयास

**2.7** सारांश

**2.8** उपयोगी पुस्तकें

**2.9** सम्बन्धित प्रश्न


## 2.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य पाठक को अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं उसके अंतर्गत राष्ट्रीयता से अवगत कराना है। इसके साथ ही राष्ट्रीयता किस प्रकार मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है इसका बोध कराना भी इस इकाई का उद्देश्य है।

## 2.1 अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा

अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधियों का वह समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों, व्यक्तियों एवं गैर-राज्य इकाइयों के व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है; तथा, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करती है। विधियों का यह समूह रूढ़ियों, संधियों, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांतों, न्यायिक विनिश्चयों एवं विधिवेत्ताओं के लेखों; एवं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्पों जैसे स्रोतों से साम्या या समानता के आधार पर विकसित हुआ है, जो कि वैश्विक

शांति की स्थापना एवं संरक्षण हेतु आवश्यक है। जिस प्रकार किसी देश का कानून उस देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। आचरण के सिद्धांतों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अभाव में राज्य, व्यक्ति एवं अन्य संस्थाएं मनमाने ढंग से व्यवहार कर सकती हैं, जो कि स्थापित व्यवस्था में समस्या पैदा कर सकती है और अंततः वैश्विक शांति के लिए चुनौती के रूप में परिणत होंगी। इतना ही नहीं सतत् वैश्विक शांति की स्थापना के लिए मानव जीवन की दशाओं का भी मानवीय संवेदना के अनुरूप होना आवश्यक है। अतः मानव सुरक्षा भी अनिवार्य है। इस प्रकार सार्वभौम मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उत्तरदायित्व में से एक हो जाता है। वैश्विक शांति की स्थापना एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व के लिए सभी राष्ट्र-राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप व्यवहार अपेक्षित है और इस संदर्भ में भारत ने सदैव अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है।

## 2.2 अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता एवं नागरिकता

राष्ट्रीयता को किसी व्यक्ति के निष्ठा के बंधन द्वारा किसी राज्य से सम्बद्ध होने की अवस्था को कहा जा सकता है। व्यक्तियों से अपने राज्यों के प्रति निष्ठा धारण करना अपेक्षित होता है और जो व्यक्ति राज्य के प्रति स्थाई निष्ठा धारण करते हैं, उन्हें राज्य के 'राष्ट्रिक' के रूप में जाना जाता है। ‘राष्ट्रीयता’ व्यक्ति एवं राज्य के मध्य विधिक संबंध को व्यक्त करता है, जिसका निर्धारण राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1923 में स्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीयता का प्रश्न एकमात्र राज्य की आंतरिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। हेग संहिताकरण सम्मेलन 1930 द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय विधियों के संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों पर इस अभिसमय का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य अपनी विधि के अधीन यह निर्धारित कर सकता है कि कौन उसका राष्ट्रिक होगा। ऐसी विधि को अन्य राज्यों द्वारा केवल तब मान्यता दी जाएगी, जब वह अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों तथा राष्ट्रीयता के संबंध में सामान्यतः मान्य विधि के सिद्धांतों से संगत होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिसीमाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य यह निश्चित करने के लिए स्वतंत्र है कि किसे वह अपने राष्ट्रिक के रूप में स्वीकार करें और किसे अस्वीकार। अंतर्राष्ट्रीय

विधि द्वारा यह परिसीमाएं अन्य राज्यों के हित में निर्धारित की जाती हैं, न कि व्यक्तियों के हित के लिए। एक बार जब राज्य इन परिसीमाओं के अंतर्गत राष्ट्रीयता से संबंधित विधि का निर्माण कर लेता है तो अन्य राज्यों द्वारा ऐसी विधि को मान्यता दिए जाने की अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-राज्य इकाइयों के साथ-साथ व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है और राष्ट्रीयता के माध्यम से ही व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि की सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधिक समस्याओं को निपटाने में उसकी राष्ट्रीयता को जानना आवश्यक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक राष्ट्रीयता हो। मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 का अनुच्छेद 15 परिच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है'। आमतौर पर राष्ट्रीयता तथा नागरिकता समानार्थी समझे जाते हैं, परंतु पारिभाषिक अर्थों में यह अलग-अलग हो जाते हैं। राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विधिक संबंध को प्रकट करती है; और, नागरिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की राष्ट्रीयता अमेरिकी है परंतु नागरिकता संगठक राज्यों के अनुसार अलग-अलग होगी। परंतु भारत जैसे राज्य में जो अपनी विशिष्ट संघवादी विशेषताएं रखता है, संगठक राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है। भारत 'एक राष्ट्र एक नागरिकता' के सिद्धांत का पालन करता है। भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि इस संदर्भ में सदैव नागरिकता शब्द का प्रयोग ही मिलता है। इस प्रकार भारत में नागरिकता एवं राष्ट्रीयता एक हो जाते हैं। भारत में भारत की नागरिकता ही भारत की राष्ट्रीयता है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीयता और नागरिकता समानार्थी हो जाते हैं। राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्राप्त भारतीय नागरिकता ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत व्यक्ति की राष्ट्रीयता के रूप में उसके विधिक व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। ऐसा इस कारण से है कि भारत अपने इतिहास से सीख लेते हुए 'नस्लीय राष्ट्रवाद' (Ethnic Nationalism) के स्थान पर 'नागरिक राष्ट्रवाद' (Civic Nationalism) को प्रमुखता प्रदान करता है; जिसमें राष्ट्र प्रमुख हो जाता है तथा शेष नस्लीय, जातीय, धार्मिक, भाषाई इत्यादि उप-राष्ट्रीयताएं गौड़ हो जाती हैं।

## 2.3 राष्ट्रीयता प्राप्त करने एवं खोने के तरीके

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, जो इस प्रकार हैं- (1) जन्म द्वारा (By Birth); (2) वंशक्रम द्वारा (By Descent); (3) देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation); (4) पुनर्ग्रहण द्वारा (By Resumption); (5) अधीनीकरण द्वारा (By Subjugation); (6) अध्यर्पण द्वारा (By Cession); (7) विकल्प द्वारा (By Option); तथा, (8) पंजीकरण द्वारा (By Registration)। राष्ट्रीयता प्राप्त करने के तरीकों के समान ही राष्ट्रीयता खोने के भी तरीके हैं; यथा- (1) निर्मुक्ति द्वारा (By Release); (2) वंचन द्वारा (By Deprivation); (3) त्याग द्वारा (By Renunciation); (4) प्रतिस्थापना द्वारा (By Substitution); तथा, (5) समापन द्वारा (By Expiration)।

## 2.4 विराष्ट्रिकता

जब कोई व्यक्ति किसी राज्य की राष्ट्रीयता धारण नहीं करता तो उसे विराष्ट्रिक (Stateless) कहा जाता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में या आशयपूर्वक विराष्ट्रिक हो सकता है। व्यक्ति जन्मतः या जन्म के बाद विराष्ट्रिक हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अन्य राष्ट्रिकता को अर्जित किए बिना ही अपनी मूल राष्ट्रीयता खो दी है, वह भी विराष्ट्रिक हो जाता है। अपने देश से विदेश में पलायन करने वाले शरणार्थी भी विराष्ट्रिक हो सकते हैं। विराष्ट्रिक उन अधिकारों का उपभोग नहीं करते जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। उनके हितों की संरक्षा किसी भी राज्य द्वारा नहीं की जाती है। उनको उन अधिकारों के उपभोग से वंचित किया जाता है, जो पारस्परिकता पर आधारित हैं। पुनः कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे व्यक्तिगत सामर्थ्य, पारिवारिक अधिकार, वैवाहिक व्यवस्था तथा संपत्ति का उत्तराधिकार, जिनका व्यक्ति सामान्य ढंग से तब तक उपभोग नहीं कर सकता जब तक उसकी व्यक्तिगत प्रस्थिति, जो उन अधिकारों का निर्धारण करती है, संदेहास्पद रहती है। भारत जैसे देश में जहां राष्ट्रीयता एवं नागरिकता एक हों, ऐसे विराष्ट्रिक राष्ट्रीय विधि का संरक्षण भी प्राप्त नहीं करते। ऐसे में इन विराष्ट्रिकों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है और मानव सुरक्षा के आधारभूत साधनों तक भी इनकी पहुंच नहीं हो पाती।

## 2.5 शरणार्थी

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने उस राज्य को, जिसमें वे स्थाई रूप से निवास करते हैं, सताए जाने अथवा सैन्य कार्यवाही से बचने  के लिए छोड़ दिया हो शरणार्थी कहे जाते हैं। यह शरणार्थी भी अपनी राष्ट्रीयता खो सकते हैं। शरणार्थियों की प्रस्थिति से संबंधित 1951 के अभिसमय में यह कहा गया है कि शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने मूल देश से राजनीतिक अथवा मूलवंश, धर्म इत्यादि के आधार पर हो रहे अत्याचारों के कारण दूसरे राज्य भाग जाता है और देश के संरक्षण को प्राप्त करने में असमर्थ या अनिच्छुक रहता है और इस प्रकार से अपनी राष्ट्रीयता खो देता है। इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 के अनुसार ‘शरणार्थी’ शब्द किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो मूल वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशिष्ट सामाजिक समूह अथवा राजनीतिक विचार की सदस्यता के कारण हत्या किए जाने के सुस्थापित भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता के देश से बाहर चला जाता है और इस प्रकार के भय के कारण उस देश के संरक्षण को प्राप्त करने में असमर्थ होता है अथवा जो राष्ट्रीयता ना होने के कारण अथवा इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम स्वरुप अपने पहले के निवास स्थान के देश से बाहर रहने के कारण उस देश में लौटने में असमर्थ होता है या लौटना नहीं चाहता है।’ परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है 'उत्पीड़ित किए जाने का सुस्थापित भय’, जिसमें शरणार्थियों की ओर से व्यक्तिनिष्ठ दशाएं (भय) शामिल है तथा उस देश के प्रति वस्तुनिष्ठ तथ्य शामिल होते हैं जहां से शरणार्थी भाग रहा होता है। उत्पीड़न मानव अधिकार का विरोधी शब्द है। कोई व्यक्ति अपना देश इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे मूलभूत मानव अधिकारों के उपभोग से वंचित कर दिया जाता है।

## 2.6 विराष्ट्रिकता उन्मूलन के प्रयास

विराष्ट्रिक व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का संरक्षण प्रदान करने के लिए इस राष्ट्र विहीनता की स्थिति को समाप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास भी किए गए हैं। 'राष्ट्रीयता विधियों का संघर्ष अभिसमय 1930' का अनुच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि संविदाकारी पक्षकार अपने राज्य क्षेत्र में जन्में उस व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्रदान करेंगे जो विराष्ट्रिक होगा। अनुच्छेद 4 ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो संविदाकारी राज्यों के राज्यक्षेत्र में नहीं जन्मा परंतु उसके जन्म के समय

उसके माता-पिता में से किसी एक की राष्ट्रीयता उस राज्य की थी। 'मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणापत्र 1948' यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीयता धारण करने का हकदार है तथा किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। 'शरणार्थियों की प्रस्थिति से संबंधित अभिसमय 1951' (अनुच्छेद 34) तथा 'विराष्ट्रिकता की प्रस्थिति से संबंधित अभिसमय 1954' (अनुच्छेद 32) के अधीन संविदाकारी पक्षकार क्रमशः शरणार्थियों एवं विराष्ट्रिकों के समामेलन तथा देशीयकरण को सरल बनाने के लिए वचन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 'विराष्ट्रिकता की कमी पर अभिसमय' को 1975 से लागू किया गया। इस अभिसमय में अनुच्छेद 1 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि संविदाकारी राज्य अपने राज्यक्षेत्र में उस व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता प्रदान करेगा जो अन्यथा विराष्ट्रिक है।

विराष्ट्रिकता उन्मूलन करने या इसमें कमी करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का केवल सीमित प्रभाव रहा है क्योंकि राष्ट्रीयता को अवधारित करना अभी भी प्रत्येक राष्ट्र की सामर्थ्य के अंतर्गत है। इस कारण विराष्ट्रिकता पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। यह वांछनीय है कि विराष्ट्रिकता का उन्मूलन करने या इसमें कमी करने के लिए राज्यों को पहल करनी चाहिए।

## 2.7 सारांश

अंतर्राष्ट्रीय विधि, विधियों का वह समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने तथा सतत वैश्विक शांति की स्थापना के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों, व्यक्तियों एवं गैर-राज्य इकाइयों के व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है; तथा, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव अधिकारों का संरक्षण भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय बन जाता है।

मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का एक विधिक व्यक्तित्व आवश्यक है, जो कि उसे 'राष्ट्रीयता' के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारत जैसे देश जहाँ नागरिकता एवं राष्ट्रीयता समानार्थी शब्द हो जाते हैं, यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकारों से वंचित रहता है। राष्ट्रीयता रूपी विधिक व्यक्तित्व का अभाव 'विराष्ट्रिकता' की स्थिति

पैदा करता है, जो कि स्वयं में एक गंभीर समस्या है। इस विराष्ट्रिकता के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कई प्रयास किए गए हैं तथापि यह उत्तरदायित्त्व राष्ट्रों पर है की वे इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें, जिससे की मानवमात्र के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। अतः विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्र इस प्रकार की पहल कर रहे हैं वह मानव अस्मिता एवं गौरव के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

## 2.8 उपयोगी पुस्तकें


- रॉबर्ट जेनिंग्स एवं ऑर्थर वाट्स (सं.), ओपनहाइम्स इंटरनेशनल लॉ: वॉल्यूम 1 पीस (9वाँ संस्करण), ओयूपी: लंदन, 2008।
- एच. ओ. अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार (10वाँ संस्करण), सीएलपी: इलाहाबाद, 2008।
- एस. के. कपूर, मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, सीएलए: इलाहाबाद, 2017 ।
- आई. ए. शेरर (सं.), स्टार्कस इंटरनेशनल लॉ (11वाँ संस्करण), ओयूपी: नई दिल्ली, 2007 ।


## 2.9 सम्बन्धित प्रश्न

**(1)** अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? इसके विषय-वस्तु का विश्लेषण करे।

**(2)** राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? क्या यह सदैव नागरिकता से भिन्न है? व्याख्या करें।

**(3)** विराष्ट्रिकता क्या है? यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकारों के लिए अहितकर है? उल्लेख करें।

**(4)** शरणार्थी किसे कहते हैं? ये किन अधिकारों से वंचित रहते हैं? वर्णन करें।

**(5)** विराष्ट्रिकता उन्मूलन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उनका मूल्याङ्कन करें तथा इस दिशा में अपने सुझाव दें।

* * * * *

# इकाई - 3 :
# CAA 2019 : उद्भव एवं कारण

**इकाई की रूपरेखा**

**3.0** उद्देश्य
**3.1** पृष्ठभूमि
**3.2** साल 2003-2014 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार पर भारत का पक्ष
**3.3** सारांश
**3.4** उपयोगी पुस्तकें
**3.5** सम्बन्धित प्रश्न

## 3.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के उद्भव के कारणों से परिचित कराना है। इस इकाई के अंतर्गत वर्ष 2003 से 2014 तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के सन्दर्भ में भारत के पक्ष को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है।

## 3.1 पृष्ठभूमि

- भारत को स्वतन्त्रता देश के धार्मिक आधार पर विभाजन की क़ीमत पर प्राप्त हुई थी। उस समय अविभाजित भारत के सभी नागरिकों को भारत-पाकिस्तान में से किसी में भी रहने की स्वतंत्रता दी गई थी। बहुत से लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए और बहुत से लोग पीछे छूट गए। उस समय इन अल्पसंख्यकों को जिन्ना द्वारा सुरक्षा एवं समानता का विश्वास दिलाया गया था, परन्तु शीघ्र ही इनके अस्तित्व पर हमले होने लगे। ऐसे में नेहरू-लियाकत समझौते के माध्यम से दोनों देशो ने अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। परन्तु पाकिस्तान अपने दायित्व को पूरा करने के बजाय अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगा रहा। वर्तमान स्थिति यह है की पाकिस्तान में आज 1947 की तुलना में अल्पसंख्यकों की संख्या 10 प्रतिशत भी नहीं बची है। विभाजन के समय जहाँ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक तत्कालीन कुल

आबादी का 23 प्रतिशत थे, वो वर्तमान में घटकर 1.5-2 प्रतिशत ही रह गए हैं शेष 90 प्रतिशत हिन्दू या तो बलात् मतांतरित कर लिए गए, मार दिए गए या पलायन करने के लिए विवश हुए।

- बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह उम्मीद की जा रही थी की कम-से-कम वहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगेगी। लेकिन बांग्लादेश ने भी पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत को न स्वीकार करते हुए स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और वहाँ भी पाकिस्तान के सामान ही अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होने लगा। बांग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) में 1947 में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या की 30 प्रतिशत थी, जो वर्तमान में 8 प्रतिशत से भी कम है।
- अफ़ग़ानिस्तान में भी इन धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न दिखाई पड़ता है। वहाँ 1970 के दशक में जहाँ अफ़ग़ान हिन्दुओं और सिखों की संख्या लगभग 7 लाख थी, वो 1990 में गृहयुद्ध के बाद निरंतर घटती हुई आज केवल 3000 तक सीमित है।
- धार्मिक आधार पर लगातार हो रहे उत्पीड़न एवं मानव अधिकारों के सतत हनन के परिणामस्वरूप जब इन अल्पसंख्यकों के लिए इन देशों में जीना असंभव हो गया तो या तो उन्हें मतांतरण के लिए बाध्य होना पड़ा या बचने के लिए वे अन्य देशों में पलायन के लिए मजबूर हुए। भारत ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक गंतव्य था क्योंकि उनकी सांस्कृतिक जड़ें इस देश से जुडी हैं।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से सम्बंधित है। इन देशों में पिछले कई दशकों से हिन्दुओं, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए इन धर्मों के अनुयायी समय-समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहे हैं। तकनीकी तौर पर उनके पास भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है। अतः एक भारतीय नागरिक को मिलने वाली सुविधाओं से वे वंचित ही रहे हैं।
- धार्मिक आधार पर भेदभाव एक शर्मनाक घटना है। जिसका किसी भी राष्ट्र में होना वहां के मानवीय मूल्यों का ह्रास दर्शाता है। पाकिस्तान की

नेशनल असेम्बली के अनुसार हर साल 5,000 विस्थापित हिन्दू भारत आते हैं। (डॉन, 13 मई, 2014)

- यह संख्या आधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों खासकर हिन्दुओं को जबरन धर्म परिवर्तन, नरसंहार, बलात्कार और संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा सहना पड़ता है। इन सबसे बचकर जब वे भारत आते हैं, तो यहां उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यह पूर्णरूप से मानवीय अधिकारों का हनन है।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है| इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है; वे लोग या तो मार दिए गए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए।
- यह उन निश्चित वर्गों के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन देशों में अनुकूल परिस्थियाँ नहीं हैं एवं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
- इसमें उन तीन देशों के ऐसे उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है।

## 3.2 साल 2003-2014 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार पर भारत का पक्ष

- पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है।
- साल 2005 में यूपीए सरकार में विदेश राज्यमंत्री ई. अहमद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ़ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है।
- साल 2007 में विदेश राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तान से हिन्दू भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती और तत्कालीन सरकारों ने राहत भी प्रदान की थी ।
- साल 2010 में लोकसभा में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने बताया कि सरकार को पाकिस्तान में हिन्दुओं के खिलाफ अत्याचारों की जानकारी है।

- साल 2011 में भी विदेश राज्यमंत्री प्रणीत कौर ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार हिन्दुओं के उत्पीड़न (persecution) पर चिंतित है।
- साल 2014 में यूपीए सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया कि 1,11,754 पाकिस्तानी नागरिक साल 2013 में वीजा लेकर भारत आये थे। हालांकि धर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण फ़िलहाल संभव नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में हिन्दू और सिख वीजा की अवधि ख़त्म होने पर भी भारत में रह रहे हैं।
- ऐसे प्रवासियों के लिए एक लम्बी अवधि का वीजा देने का प्रावधान अस्तित्व में था, जिसे सरकार ने लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। केंद्रीय गृहमंत्री (राज्य) एम. रामचंद्रन ने लोकसभा में 18 फरवरी, 2014 को बताया कि लम्बी अवधि का वीजा देने का नियम पाकिस्तानी हिन्दू अथवा अल्पसंख्यकों लिए बनाया गया है। अगर वे अपने को शरणार्थी घोषित करते हैं, तो उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 29 दिसंबर, 2011 में नियम बनाये गए और 7 मार्च, 2012 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी ।
- ऐसा ही बांग्लादेश में हिन्दुओं के उत्पीड़न की जानकारी भी सरकारों की जानकारी में थी । साल 2003 में विदेश राज्यमंत्री विनोद खन्ना ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा और अत्याचार की खबरें समय-समय पर मिलती रहती हैं।
- यूपीए कार्य काल में भी विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं की समस्याओं की जानकारी है। संसदीय कार्यमंत्री राजीव शुक्ला ने भी साल 2013 में यह दोहराया।
- असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 20 अप्रैल, 2012 को एक मेमोरंडम दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ितों को भारतीय बताते हुए कहा कि उन्हें भारत सरकार विदेशियों की तरह बर्ताव न करे।
- साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार आधिकारिक रूप से मानती थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ

अत्याचार हो रहे हैं, मगर इस सम्बन्ध में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साल 2014 के बाद एनडीए सरकार में भी ऐसे मामले सामने आने लगे। इसलिए सरकार ने इन विस्थापितों की सुरक्षा के लिए एक स्थाई निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा था।

## 3.3 सारांश

भारत को स्वतंत्रता धार्मिक आधार पर विभाजन के मूल्य पर प्राप्त हुई थी। भारत ने स्वयं को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विकसित किया, वहीं पाकिस्तान अपने गठन से ही धार्मिक राष्ट्र बना रहा। दोनों राष्ट्रों से अपने राष्ट्र में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण अपेक्षित था। अपेक्षा को वैधानिक रूप देने के लिए नेहरू-लियाकत समझौता किया गया। परन्तु जहाँ एक ओर भारत अपने समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदान कर रहा था वहीं पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का क्रम चलता रहा। बांग्लादेश के गठन के पश्चात् यह आशा की गई थी की वह पंथनिरपेक्षता की राह पर चलेगा या कम-से-कम अपने भू-राज्य क्षेत्र में रह रहे अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करेगा। परन्तु बांग्लादेश ने भी स्वयं को धार्मिक राष्ट्र घोषित कर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जारी रखा। अफ़ग़ानिस्तान ने भी स्वयं को धार्मिक राष्ट्र घोषित किया और वहाँ भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के समान ही अल्पसंख्यक उत्पीड़ित रहे। इस निरंतर उत्पीड़न का परिणाम यह हुआ कि ये धार्मिक अल्पसंख्यक या तो मार दिए गए या फिर बलात् मतांतरित करा लिए गए। जो इन दोनों परिस्थितियों से बच गए उनके पास किसी अन्य देश में पलायन करने अतिरिक्त और चारा नहीं था। ऐसे में भारत से सहज सांस्कृतिक जुड़ाव तथा स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनेताओं द्वारा दिए गए वचनों के कारण भारत उनके लिए एक सहज आश्रय था।

वर्ष 2003 से लेकर 2014 तक भारत सरकार द्वारा इस उत्पीड़न को चिन्हित किया गया तथा इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। साथ ही सरकार ने इस सन्दर्भ में स्थाई निर्णय लेने का प्रयास भी किया था।

स्पष्ट है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को भारत ने हमेशा सहानुभूतिपूर्वक देखा

है। विभिन्न सरकारों ने सदैव इस दिशा में स्थाई समाधान की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस प्रकार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 इसी समाधान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

## 3.4 उपयोगी पुस्तकें

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019: एक परिचय, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास: नई दिल्ली, 2019।
- कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ़ द सिटिज़नशिप अमेण्डमेंट एक्ट, 2019 एंड व्हाई इट वाज एसेंशियल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फॉउण्डेशन: नई दिल्ली, 2019-20।
- नागरिकता संशोधन कानून - 2019: तथ्य एवं वास्तविकता, विमर्श प्रकाशन: नई दिल्ली, 2020।

## 3.5 सम्बन्धित प्रश्न

**(1)** पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की स्थिति का तथ्यों सहित उल्लेख करें।

**(2)** बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की निरंतर कम होती संख्या के कारणों की चर्चा करें।

**(3)** विभाजन के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए थे? तत्कालीन भारतीय राजनेताओं द्वारा पाकिस्तान में रह गए लोगों को दिए गए आश्वासनों का उल्लेख करें।

**(4)** वर्ष 2003 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में तत्कालीन भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या था? वर्णन करें।

* * * * *

# इकाई-4
# CAA 2019 : अधिनियम एवं विशेषताएं

**इकाई की रूपरेखा**


**4.0** उद्देश्य

**4.1** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019: एक संक्षिप्त परिचय

**4.2** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की मुख्य बातें

**4.3** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की विशेषताएं

**4.4** सारांश

**4.5** उपयोगी पुस्तकें

**4.6** सम्बन्धित प्रश्न


## 4.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य पाठक को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, इसकी प्रमुख बातों एवं विशेषताओं से अवगत कराना है।

## 4.1 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 : एक संक्षिप्त परिचय

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोक सभा ने 9 दिसंबर और राज्य सभा ने 11 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी । यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा तथा यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

- इसके उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधायी व्यवस्था की जरूरत है। अधिनियम में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है।
- इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध 'अवैध प्रवासी' के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे। किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का प्रमाण देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत "प्राकृतिकरण" (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने को कहा जाता था। यह उनको बहुत से अवसरों एवं लाभों से वंचित करता था।
- इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को "प्राकृतिकरण" (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है। इसके लिए ऐसे लोगों को मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर 05 वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्तमान में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

- उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1973 की "आंतरिक रेखा प्रणाली" के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान कि ये गए कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

## 4.2 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की मुख्य बातें

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
- ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे।
- अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हों, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।
- यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।
- ओसीआई कार्डधारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को है, परन्तु उनके पक्ष को भी सुना जाएगा।

## 4.3 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की विशेषताएं

- धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग पूर्व वर्णित पड़ोसी देशों से भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने का अधिनियम है।

- हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीन देशों से आते हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे उनको मुक्ति दे दी गई है।
- यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर-तरीकों को अपना कर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके माध्यम से वे भारत की नागरिकता ले पाएंगे।
- ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 या तीसरी अनुसूची की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस तिथि से वे भारत में आए हैं, उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जाएगी।
- पश्चिमी बंगाल के अन्दर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वे 1955 में आए, 1960 में आए, 1970 में आए, 1980 में आए, 1990 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के पूर्व आए, उन सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी, जिस तिथि से वे आए हैं।
- इससे उनको किसी विधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है, तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा। उस विधिक कार्यवाही का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा।
- अगर आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या विशेषाधिकार ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व विशेषाधिकार से वंचित नहीं कर दिया जाएगा।
- कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, उन्होंने छोटी-मोटी दुकान खरीद ली है और वे अपना काम कर रहे हैं, जो कानून की दृष्टि में हो सकता है कि वह अवैध हो, गैर-कानूनी हो। मगर यह बिल उनको संरक्षित करता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है, उसको यह बिल नियमित कर देगा। उनकी उस स्थिति से उन्हें कहीं पर भी वंचित नहीं किया जायेगा।
- जैसे किसी की शादी हुई, बच्चे हुए, इन सभी तथ्यों को यह बिल नियमित करेगा।

- जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनकी सामाजिक पहचान को परिरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर प्रावधान हुए हैं।
- जनजातीय इलाकों पर यह बिल लागू नहीं होगा।
- उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अब पूरा मणिपुर भी नोटिफाई हो चुका है।
- इसी तरह बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) के इलाके, पूरा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, इन सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 1985 से लेकर अब तक (35 साल) चली आ रही असम के लोगों की भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं पूरे सामाजिक परिवेश की रक्षा तथा उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण की मांगों को इस अधिनियम के माध्यम से पूरा किया जा रहा है ।
- यह अधिनियम पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- असम के सभी मूल निवासियों के सभी हितों की चिंता क्लॉज़ - 6 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र के सभी लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और इस विधेयक में संशोधन के रूप में इन राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया है।

## 4.4 सारांश

नागरिकता (संशोधन) अधिनयम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान के धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों- हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं इसाई- को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक विधायन है। यह संशोधन अधिनियम मात्र नागरिकता प्रदान करने का सन्दर्भ

रखता है। इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके माध्यम से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती हो। यह अधिनियम उत्तर-पूर्व के राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान को संरक्षित करने की दिशा में भी प्रतिबद्ध है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक यदि अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार सरकार को है, परन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाए, ऐसा प्रावधान यह अधिनियम करता है।

स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान के वर्षों से उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यह नागरिकता प्रदान करने का अधिनियम है, नागरिकता छीनने का नहीं। यह अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को सीमित नहीं करता और न ही किसी भारतीय नागरिक को पुनः अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहता है। यह मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक श्रेयस्कर कदम है।

## 4.5 उपयोगी पुस्तकें


- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019: एक परिचय, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास: नई दिल्ली, 2019।
- कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ़ द सिटिज़नशिप अमेण्डमेंट एक्ट, 2019 एंड व्हाई इट वाज एसेंशियल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फॉउण्डेशन: नई दिल्ली, 2019-20।
- नागरिकता संशोधन कानून- 2019: तथ्य एवं वास्तविकता, विमर्श प्रकाशन: नई दिल्ली, 2020।


## 4.6 सम्बन्धित प्रश्न

(1) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 के उद्देश्य एवं प्रावधानों का उल्लेख करें।

(2) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 की प्रमुख बातों की चर्चा करें।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सविस्तार विश्लेषण करें।

(4) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 देश के किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा? यह अधिनियम उत्तर-पूर्व के राज्यों के प्रति क्या प्रावधान करता है? वर्णन करें।

* * * * *

# इकाई - 5 :
# CAA 2019 : प्रभाव, बहस एवं मुद्दे

**इकाई की रूपरेखा**


**5.0** उद्देश्य

**5.1** प्रस्तावना

**5.2** मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक

**5.3** कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर

**5.4** सारांश

**5.5** उपयोगी पुस्तकें

**5.6** सम्बन्धित प्रश्न


## 5.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के सन्दर्भ में जो गलत बातें कही-सुनी जा रही हैं, उन्हें स्पष्ट करना है। इस इकाई के माध्यम  पाठक से अपेक्षित है की वह अपनी गलतफहमियों को दूर कर इस अधिनियम के सही स्वरुप को समझने में सक्षम होगा।

## 5.1 प्रस्तावना

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार असंख्य शरणार्थियों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे अगणित परिवारों को इससे नया जीवन मिलेगा। यह विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा। उत्पीड़ित, वयक्त एवं निराश्रितों को गले लगाकर 'वसुधैव कुटुंबकम' की प्राचीन भारतीय परपंरा के अनुरूप यह निर्णय निश्चित ही एक गौरवपूर्ण भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। इस निर्णय से हर भारतीय का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है। यह विधेयक ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला

है। इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे । भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई अहित नहीं है |

## 5.2 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है यह विधेयक

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा की 'एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है, यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।'
- श्री अमित शाह ने कहा 'जो इस देश के मुसलमान हैं, उनके लिए इस देश के अंदर किसी चिंता की सवाल ही नहीं है।'
- श्री नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई।
- श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है।
- श्री नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सबकी मदद सरकार को करनी चाहिए।
- श्री शाह ने कहा 'वे नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता।'
- भारत के अल्पसंख्यकों और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

## 5.3 कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019, की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं और इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ होने का दावा किया जा रहा है। इन सवालों का मूल्यांकन करने के लिए और उस मिथक को तोड़ने के लिए, जो इस संशोधन के खिलाफ प्रचारित किया जा रहा है एवं इसकी वैधता का पता लगाने के लिए कुछ सवालों के जवाब निम्नवत हैं:

**प्रश्न : भारत अपने नागरिकों को कैसे परिभाषित करता है और भारतीय नागरिकता के मानदंड के लिए राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी पृष्ठभूमि क्या है?**

उत्तर : भारतीय नागरिकता के विचार को समझने के लिए हमें संविधान सभा के दौर में जाना होगा। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों की भारी संख्या के बीच भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए नागरिकता के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना लगभग असंभव था क्योंकि उस समय की स्थिति नागरिकता के प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल नहीं थी, नागरिकता का मुद्दा संविधान के भाग II में अनुच्छेद 11 पर निर्भर था जो संसद को भारतीय नागरिकता के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का विशेषाधिकार देता है। इसके कारण नागरिकता अधिनियम, 1955 अस्तित्व में आया। इसलिए, यह कहना गलत है कि संसद को नागरिकता के मानदंडों में कोई बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं है, यह तर्क संविधान निर्माताओं के इरादों के विपरीत है। सच्चाई यह है कि संविधान सभा ने कभी भी नागरिकता के मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया, बल्कि संसद को संविधान ने भारतीय नागरिकता के मानदंड को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया है।

**प्रश्न : यह नागरिकता संशोधन विधेयक क्यों आवश्यक है?**

उत्तर : भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान (मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों) में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू से ही धर्म के आधार पर लगातार वहां उत्पीड़न का सामना करना पड़ा । विभाजन के दौरान भारत ने इन अल्पसंख्यकों को आश्वासन देते हुए कहा था कि यदि उनके मूल देश नेहरू-लियाकत संधि के तहत उन्हें दायित्व के अनुसार सुरक्षा देने में विफल रहते हैं तो भारत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इसलिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन उत्पीड़ित वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह विधेयक आवश्यक था और उन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार दिया जा रहा है, जहां वे दशकों से अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे हैं।

**प्रश्न : वर्तमान संशोधन क्या है? यह क्या कहता है और इसके परिणाम क्या हैं?**

**उत्तर :** 1955 अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने के लिए जन्म, वंश, प्राकृतिकरण, पंजीकरण और भारत द्वारा किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण जैसी पांच श्रेणियां हैं। नागरिकता अधिनियम में यह संशोधन मुख्य रूप से प्राकृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा नागरिकता देने के प्रस्ताव को संशोधित करता है- विधेयक के खंड 2 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के उपखंड (सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों से आवेदन की छूट दी गई है उनको नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। विधेयक का खंड 3 नागरिकता अधिनियम, 1955 में एक नई धारा 6 बी सम्मिलित करता है; यह विधेयक के खंड 2 के तहत और धारा 6 बी (2) के तहत संरक्षित व्यक्तियों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय क्षेत्र में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। संशोधित अधिनियम की नई धारा 6बी (4) में यह प्रावधान है कि विधेयक के उपर्युक्त खंड 2 असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जैसाकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है इसके अतिरिक्त बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'द इनर लाइन' क्षेत्रों में भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा। विधेयक का खंड 6 अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करता है, जो अधिनियम की धारा 1(6) के तहत प्राकृतिकरण के लिए योग्यता प्रदान करता है। यह तीन मुस्लिम बहुल देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा और वर्तमान मामले में नागरिकता के लिए नए

आवेदन से संबंधित है। यह खंड अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए भारत में निवास या भारत सरकार के अंर्तगत सेवा शर्त को कम से कम पांच वर्ष करता है जो पूर्व में "कम से कम ग्यारह वर्ष" थी । इसलिए, तीन मुस्लिम देशों के सताए हुए अल्पसंख्यक अब अधिनियम की धारा 6बी के तहत नागरिकता के हकदार हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और उन्हें इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और भारत में उनके इस तिथि के पूर्व आगमन पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि, यदि 31 दिसंबर, 2014 के बाद उक्त व्यक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ, तो वे अधिनियम की तीसरी अनुसूची के साथ पढ़े अधिनियम की धारा 6 के तहत नागरिकता के लिए पात्र होंगे, जो भारत में कम से कम 5 वर्षों के लिए उनके निवास का प्रावधान करता है। जो पहले 11 साल था, जैसा कि प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए अन्य देशों के लोगों पर लागू होता है।

**प्रश्न : पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, और क्या विभाजन के 70 साल बाद भी उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत का कोई दायित्व है?**

**उत्तर :** हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले कानूनमंत्री डॉ. बी आर अम्बेडकर एक दलित थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानूनमंत्री श्री जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे। श्री मंडल ने पाकिस्तान के दावे का खुलकर समर्थन किया था और अनुसूचित जाति समुदायों को असम में सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था। नेहरू-लियाकत संधि के ठीक 6 महीने बाद पाकिस्तान के पहले कानूनमंत्री ने 8 अक्टूबर, 1950 को पाकिस्तान मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ बेहद भयावह हिंसा के विरोध में आया था। दुर्भाग्य से, श्री मंडल को भारत वापस आना पड़ा और शरणार्थी के रूप में उनकी मृत्यु पश्चिम बंगाल में हुई।

इसलिए नेहरू-लियाकत समझौते का सम्मान करने में पाकिस्तान की विफलता के कारण, विभाजन के पीड़ितों को शरण देना भारतीय राज्य का एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है।

**प्रश्न : क्या कानून के समक्ष कोई संवैधानिक चुनौती है और कैसे?**

**उत्तर :** अनुच्छेद 14 संविधान में निहित समानता के अधिकार का मूल है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सामान्य कानून सभी वर्गों के लोगों पर लागू होंगे। यह अनुच्छेद स्थापित समूहों या वर्गों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है और इस तरह के वर्गीकरण में उस उद्देश्य के साथ उचित समझ विकसित होती है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। नागरिकता संशोधन विधेयक में वर्गीकरण दो कारकों पर आधारित है- देशों का वर्गीकरण अर्थात् अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाम शेष देशों; लोगों का वर्गीकरण अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई बनाम अन्य लोग। अब इस भिन्नता (वर्गीकरण) का आधार उत्पीड़न और अल्पसंख्यक हैं। चूंकि ये तीनों देश एक रूप में इस्लाम को अपना राज्य धर्म मानते हैं और यहां धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, इसलिए यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं। इसलिए उत्पीड़न और अल्पसंख्यक, दोनों ही इस वर्गीकरण का आधार हैं, और चूंकि नागरिकता प्रदान कर इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर इस वर्गीकरण के सही उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए यह उचित वर्गीकरण की अनुमेय श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायराबानो मामले में पुनर्विचार सिद्धांत अनुचित, भेदभावपूर्ण, जो पारदर्शी नहीं है, पक्षपातपूर्ण या भाई-भतीजावाद का एक मानक है, एक कानून के लिए मनमाना और असंवैधानिक होना का पर्यायवाची है। यहां इस मामले में मनमानी बिल्कुल भी लागू नहीं है क्योंकि एक उचित वर्गीकरण का आधार जो अल्पसंख्यक और उत्पीड़न वर्ग से संबंधित है उसके सही परिभाषित मापदंडों पर ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, यह कानून उचित वर्गीकरण और गैर-मनमानी के दोनों पैमानों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करता है। अनुच्छेद 14 की संकीर्ण व्याख्या ना करके इसे व्यापक एवं वास्तविक संदर्भ में देखने की जरुरत है।

सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार अत्यंत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि समान संरक्षण का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 अत्यंत मानवीय आधार पर लाया गया है। छह प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के पास अपना देश छोड़कर भारत में आकर शरण लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। भारत का एक लंबा इतिहास है कि उत्पीड़ित लोगों को वह हमेशा आश्रय देता आया है। चाहे वह विषय पारसी लोगों को आश्रय देने का हो या हाल ही में तिब्बत समुदाय के लोगों को आश्रय देने का हो। भारत ने हमेशा अपनी बांह फैलाकर दूसरे देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का स्वागत किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधित कानून केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लिए भी है।

**प्रश्न : यह विधेयक वास्तव में एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, क्या यह वास्तव में मुस्लिम विरोधी है?**

**उत्तर :** नहीं, यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और न ही यह किसी एक समुदाय विशेष के साथ भेदभाव कर रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, जो अपने ही देशों में अपनी धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए यदि भारत कोई कार्रवाई करता है तो यह भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करता है। जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। यह हमारे धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को मजबूती से बनाए रखता है, जो व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता के बावजूद हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। इस विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है जो इन तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। चूंकि मुस्लिम न तो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं और न ही धार्मिक आधार पर उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बात पर ध्यान देना बेहद जरुरी है कि नागरिकता संशोधन

विधेयक भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है जो इसके नागरिक हैं, इसका उद्देश्य केवल उन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है जो अपने संबंधित देशों में अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सताए जाते हैं। किसी भी देश या किसी भी धर्म का कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र है। सीएए इन प्रावधानों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। यह केवल तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को पुष्ट प्राथमिकता प्रदान करता है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। दूसरे, अगर हम सभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं तो देश का विभाजन जिसमें हमने अपनी जमीन का एक तिहाई हिस्सा दिया था, वह निरर्थक हो जाएगा। इसलिए, जब हम हमारी जमीन का एक हिस्सा पहले ही धार्मिक आधार पर दे चुके हैं तो उन लोगों को फिर से नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि के रूप में चुना है।

**प्रश्न : क्या यह पहली बार है कि इस तरह का वर्गीकरण किया गया है और ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई कदम उठाया गया है?**

**उत्तर :** नहीं, यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की कवायद पहले भी होती रही है। साल 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉ. अंबेडकर कानूनमंत्री थे, कैबिनेट ने एक कानून द इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 पारित किया। इस अधिनियम की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- उन सभी को निष्कासित करना जिन्होंने असम में अवैध रूप से गलत उद्देश्यों के साथ प्रवेश किया। इसमें से उन लोगों को यहां निवास करने की अनुमति दी गई जो नागरिक गड़बड़ी के कारण भारत आए थे यानी व्यावहारिक रूप से हिंदू / सिख जो दंगों के कारण आए थे (उन्हें भारत में वापस रहने की अनुमति दी गई थी)।

- दूसरी बात यह है कि 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने राजस्थान और गुजरात के कुछ सीमावर्ती जिलों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने के रूप में निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार दिए थे। इसलिए, यह कहना अनुचित है कि यह पहली बार ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान में विशेष रूप से जनरल जिया-उल-हक के शासन के दौरान अत्याचार बढ़ने और उसके बाद भी हालातों में कोई विशेष सुधार नहीं होने के कारण, भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गयी है इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी, और इस विधेयक का उद्देश्य यही है।

**प्रश्न : क्या उनके गृह देशों में सताए गए लोगों को भारत में आने पर खुद को शरणार्थी घोषित करने और विधेयक के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए पांच साल तक इंतजार करने की आवश्यकता है?**

**उत्तर :** नहीं, यह विधेयक पूर्वव्यापी तिथि से, अर्थात् भारत में उनके प्रवेश की तारीख से नागरिकता प्रदान करता है और उन्हें स्वयं को शरणार्थी घोषित नहीं करता है। यदि उन्हें 31 दि संबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया गया है, तो संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 साल तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन उत्पीड़ित वर्ग को जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत में प्रवेश किया है जिसका प्रावधान विधेयक की धारा 2 में किया गया है, उनकों अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा, जो पहले 11 वर्ष था।

**प्रश्न : उन लोगों के बारे में जो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत आए थे? क्या उन्हें नए संशोधन के तहत नागरिकता के लिए भी आवेदन करना होगा?**

**उत्तर :** नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार जो लोग 19 जुलाई, 1948 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें पहले से ही

भारत का नागरिक माना जा चुका है। और जिन लोगों ने 19 जुलाई, 1948 के बाद और संविधान के लागू होने से पहले प्रवेश किया है, उन्हें भी नागरिक माना जाता है, यदि वे संविधान के अनुच्छेद 6 (बी) (ii) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पहले से ही पंजीकृत हैं। इस विधेयक का उन व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत में प्रवेश किया था।

**प्रश्न : यह आकलन कैसे किया जाएगा कि इन देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले प्रवेश किया हैं?**

**उत्तर :** इसे अधिनियम की धारा 6 बी के तहत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जा सकता है। इस तरह की आवश्यकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार है।

**प्रश्न : अधिनियम की धारा 6 बी के तहत आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर, 2014 तिथि क्यों निर्धारित किया गया है?**

**उत्तर :** ऐसा अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार अधिनियम की धारा 6 के तहत आवेदन करने के लिए 5 वर्ष की बाध्यता के कारण किया गया है। इस विशेष तिथि तक, ये सताए गए वर्ग अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं यानी 5 साल का निवास, जो कि आवश्यक है, इसलिए यह तारीख निर्धारित हुई है।

**प्रश्न : संशोधित अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का प्रमाण कैसे दे सकता है?**

**उत्तर :** यह अधिनियम की धारा 6 या धारा 6 बी के तहत किए गए आवेदन में घोषणा के रूप में दिया जा सकता है और इसके लिए धार्मिक उत्पीड़न के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल अधिनियम की अनुसूची III के तहत दिए गए मानदंडों को पूरा करना है।

**प्रश्न : क्या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने और उसकी प्रक्रिया के दौरान इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा?**

**उत्तर :** हाँ, उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी (3) के दूसरे प्रावधान के अनुसार वे ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं होंगे।

**प्रश्न : उत्तर-पूर्व के कुछ इलाकों में रहने वाले ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का क्या होगा है, जहाँ यह संशोधन लागू नहीं होगा? इस संशोधन के तहत उन्हें कहां से लाभ मिल सकता है?**

**उत्तर :** यह संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा, जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और बंगाल पूर्वी सीमा नियंत्रण अधिनियम, 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के तहत आता है, जिसका प्रावधान उनकी मूल और स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया है। हालांकि, इन क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग देश के अन्य क्षेत्रों से एक आवेदन कर सकते हैं जहां यह संशोधन लागू है और उस स्थान से केवल नागरिकता से जुड़े अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

**प्रश्न : ऐसे लोग जिन पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले चल रहे हैं, तो क्या वह लोगों इस नए प्रावधान के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे?**

**उत्तर :** यदि उन्हें संशोधित अधिनियम के तहत उनकों नागरिकता प्रदान करने के लिए योग्य पाया जाता है, तो यह उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करेगा।

## 5.4 सारांश

सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 सन्दर्भ में जनमानस में व्याप्त समस्त भ्रान्तियाँ निर्मूल हैं। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान में उत्पीड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले इन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने वाला अवश्यम्भावी कदम है। यह अधिनियम अतीत में भारत से जुड़े रहे उन लोगों के मानव अधिकारों को सुरक्षित करता है, जो वर्तमान में मूलभूत मानव सुरक्षा के साधनों तक पहुँच पाने से वंचित हैं तथा जिनके प्रति

पूर्व की भी सभी सरकारों ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा था। यह अधिनियम इन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है। पूर्व में भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान से ही क्यों न आया हो। यह अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक को -चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या सम्प्रदाय का हो- अपनी पहचान पुनः स्थापित करने को नहीं कहता। यह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के भारतीय नागरिक की नागरिकता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को स्थापित विधि के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से भी नहीं रोकता, चाहे वह किसी भी देश का हो या किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या सम्प्रदाय का। यह अधिनियम उत्तर-पूर्व के राज्यों की विशेष भाषाई, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान को भी संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 5.5 उपयोगी पुस्तकें


- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019: एक परिचय, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास: नई दिल्ली, 2019।
- कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ़ द सिटिज़नशिप अमेण्डमेंट एक्ट, 2019 एंड व्हाई इट वाज एसेंशियल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फॉउण्डेशन: नई दिल्ली, 2019-20।
- नागरिकता संशोधन कानून - 2019: तथ्य एवं वास्तविकता, विमर्श प्रकाशन: नई दिल्ली, 2020।


## 5.6 सम्बन्धित प्रश्न

**(1)** क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता में किसी प्रकार का संशोधन करता है? व्याख्या करें।

**(2)** क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 पूर्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान से भारत आए एवं वर्तमान में भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके किसी भी व्यक्ति की नागरिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है? स्पष्ट करें।

**(3)** क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 किसी भी भारतीय नागरिक को -चाहे वह किसी भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग या सम्प्रदाय का हो- अपनी पहचान साबित करने को कहता है? व्याख्या करें।

**(4)** क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 भारत में रह रहे मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों का किसी भी प्रकार से अहित करता है? स्पष्ट करें।

* * * * *

# परिशिष्ट

## जोगेंद्र नाथ मंडल का लियाकत अली खान को दिया गया त्यागपत्र

*(पाकिस्तान सरकार के कानून और श्रम मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को संबोधित करते त्यागपत्र का मूल पाठ का हिंदी अनुवाद)**

मेरे प्रिय प्रधानमंत्री,

पूर्वी बंगाल के पिछड़े हिंदू जनसमुदाय के उत्थान हेतु मेरे आजीवन मिशन की विफलता पर भारी मन और अत्यंत निराशा की भावना के साथ मैं आपकी कैबिनेट की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए विवश महसूस कर रहा हूँ। यह उचित होगा कि मैं उन कारणों के बारे विस्तार से बताऊँ, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है।

1. मैं अपने त्यागपत्र के दूरवर्ती और तात्कालिक कारणों को बयान करूं, इससे पहले लीग के साथ मेरे सहयोग की अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देना उपयोगी हो सकता है। फरवरी 1943 में बंगाल के कुछ प्रमुख लीगी नेताओं द्वारा संपर्क कि ये जाने के बाद, मैं उनके साथ बंगाल विधानसभा में काम करने के लिए सहमत हो गया। मार्च 1943 में फ़ज़लुल हक सरकार गिरने के बाद, मैं, अनुसूचित जाति के 21 विधायकों की पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग संसदीय दल के तत्कालीन नेता ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुआ, जिन्होंने अप्रैल 1943 में मंत्रिमंडल का गठन किया। हमारा सहयोग कुछ विशिष्ट शर्तों के आधार पर था, जैसे कि मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के तीन मंत्रियों को शामिल करना, अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान के रूप में पाँच लाख रूपये की राशि का अनुमोदन, और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के मामले में सांप्रदायिक अनुपात नियम का अयोग्य परिपालन।



** साभार : डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध संस्थान, नई दिल्ली।*

2. इन शर्तों के अलावा, जिन मुख्य उद्देश्यों ने मुझे मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया, उसमें पहला यह था कि बंगाल में मुसलमानों के आर्थिक हित सामान्यतः अनुसूचित जातियों के साथ समान थे। मुसलमानों में अधिकांश किसान और मजदूर थे, और इसलिए अनुसूचित जाति के सदस्य थे। मुसलमानों का एक वर्ग मछुआरों का था, जैसा कि अनुसूचित जातियों का भी एक वर्ग था, और दूसरा यह कि अनुसूचित जाति और मुसलमान दोनों ही शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। मुझे समझाया गया कि लीग और उसकी सरकार के साथ मेरा सहयोग विधायी और प्रशासनिक उपायों के व्यापक पैमाने पर होगा जिससे बंगाल की आबादी के विशाल हिस्से के पारस्परिक कल्याण को बढ़ावा देने और निहित स्वार्थ व विशेषाधिकारों की बुनियाद को कम करने के साथ, सांप्रदायिक शांति और सद्भाव का कारण बनेगा। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि ख्वाजा नज़ीमुद्दीन ने अपने मंत्रिमंडल में तीन अनुसूचित जाति के मंत्रियों को लिया और मेरे समुदाय के सदस्यों में से तीन को संसदीय सचिव नियुक्त किया।

3. मार्च 1946 में हुए आम चुनावों के बाद श्री एच.एस. सुहरावर्दी मार्च 1946 में लीग संसदीय दल के नेता बने और अप्रैल 1946 में लीग सरकार का गठन किया। महासंघ के टिकट पर जीतने वाला मैं अनुसूचित जाति का एकमात्र सदस्य था। मुझे श्री सुहरावर्दी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा उस वर्ष के अगस्त माह के 16वें दिन को ‘सीधी कार्रवाई दिवस’ के रूप में मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, इसके परिणामस्वरूप सर्वनाश हुआ। हिन्दुओं ने लीग सरकार से मेरे त्यागपत्र की मांग की। मेरा जीवन संकट में था। मुझे लगभग हर दिन धमकी भरे पत्र मिलने लगे, लेकिन मैं अपनी नीति पर कायम रहा। इसके अलावा, मैंने अपने जीवन के जोखिम पर भी अपनी पत्रिका ‘जागरण’ के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खूनी झगड़े से खुद को दूर रखने की अपील जारी की। मैं इस तथ्य को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझे आक्रोशित हिंदू भीड़ के प्रकोप से अपनी जाति के हिंदू पड़ोसियों द्वारा बचाया गया था। कलकत्ता नरसंहार के बाद

अक्टूबर 1946 में 'नोआखली दंगा' हुआ था। वहाँ, अनुसूचित जाति यों सहित हिन्दुओं की हत्या कर दी गयी और सैकड़ों को इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया गया। हिंदू महिलाओं का बलात्कार और अपहरण किया गया। मेरे समुदाय के सदस्यों को भी जान-माल का नुकसान हुआ। इन घटनाओं के तुरंत बाद, मैंने टिप्पेरा और फेनी का दौरा किया और कुछ दंगा प्रभावित क्षेत्रों को देखा। हिन्दुओं के भयानक कष्टों ने मुझे दु:ख से भर दिया, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति जारी रखी। कलकत्ता हत्याकांड के तुरंत बाद, सुहरावर्दी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। केवल मेरे प्रयासों के कारण ही अब तक कांग्रेस के साथ रहे विधानसभा के चार एंग्लो -इंडियन सदस्यों और चार अनुसूचित जाति के सदस्यों का समर्थन प्राप्त किया जा सका था, जिसके बिना सरकार हार गयी होती।

**4.** अक्टूबर 1946 में, सबसे अप्रत्याशित रूप से श्री सुहरावर्दी के माध्यम से भारत की अंतरिम सरकार में एक सीट का प्रस्ताव मेरे पास आया। अपनी हिचकिचाहट से निकलने और अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए केवल एक घंटे का समय दिये जाने के बाद, मैंने केवल इस शर्त के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सहमति जतायी कि यदि मेरे नेता डॉ.बी.आर.अम्बेडकर ने मेरे कदम को अस्वीकार कर दिया, तो मुझे त्यागपत्र देने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, सौभाग्य से, मुझे लंदन से भेजे गये टेलीग्राम में उनकी स्वीकृति मिल गयी। कानून मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले, मैंने बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुहरावर्दी को उनके मंत्रिमंडल में मेरे स्थान पर दो मंत्रियों को लेने और अनुसूचित केस फेडरेशन समूह से दो संसदीय सचिवों को नियुक्त करने के लिए राजी कर लिया।

**5.** मैं 1 नवंबर, 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। लगभग एक महीने के बाद जब मैंने कलकत्ता का दौरा किया, तो श्री सुहरावर्दी ने मुझे पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से गोपालगंज उप-मंडल में, जहाँ नामशूद्र बहुत अधिक मात्रा में थे, अत्यधिक सांप्रदायिक तनाव से अवगत कराया। उन्होंने मुझसे उन क्षेत्रों का दौरा करने, मुसलमानों और नामशूद्रों की सभाओं को संबोधित करने का अनरोध किया। तथ्य यह था कि उन क्षेत्रों में नाम शूद्रों ने प्रतिशोध की तैयारी कर ली थी। मैंने

भारी भीड़ वाली लगभग दर्जन भर सभाओं में भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि नामशूद्रों ने प्रतिशोध का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार एक अपरिहार्य खतरनाक सांप्रदायिक उपद्रव टल गया।

6. कुछ महीनों के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के लिए कुछ प्रस्तावों को शामिल करते हुए अपना 3 जून का वक्तव्य (1947) जारी किया। इससे पूरा देश, विशेष रूप से पूरा गैरमुस्लिम भारत भौचक रह गया। सच्चाई के वास्ते मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को हमेशा मोलभाव का एक दाँव माना था। हालाँकि मैं पूरी ईमानदारी से महसूस करता था कि पूरे भारत के संदर्भ में मुस्लिमों के पास उच्च वर्ग के हिंदू धर्मवाद के खिलाफ शिकायत का वैध कारण था, लेकिन मेरा बहुत दृढ़ विचार था कि इसके बावजूद पाकिस्तान का निर्माण कभी भी सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं करेगा। इसकी बजाय, यह सांप्रदायिक घृणा और कड़वाहट को बढ़ायेगा। इसके अलावा, मैंने यह भी दोहराया कि यह पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति में सुधार नहीं करेगा। देश के विभाजन के अपरिहार्य परिणाम, यदि स्थायी नहीं, तो भी दोनों देशों की मेहनतकश जनता की गरीबी, अशिक्षा और दयनीय स्थिति के रूप में लंबे समय तक रहेंगे। मैंने आशंका जतायी कि पाकिस्तान दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे पिछड़े और अविकसित देशों में शुमार होने की ओर उन्मुख हो सकता है।

7. मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने सोचा कि पाकिस्तान को शरीयत और इस्लाम के हुक्म और फार्मूले के आधार पर पूर्णरूप से 'इस्लामिक' राज्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा, जैसा कि वर्तमान में किया गया है। मैंने कल्पना की कि 23 मार्च, 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के पारित प्रस्ताव पर विचार किये जाने के बाद सभी आवश्यक तरीकों से इसे स्थापित किया जायेगा। उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि (I) "भौगोलिक रूप से निकटवर्ती क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों में सीमांकित किया जाये, जिन्हें इस तरह के क्षेत्रीय पुन: समायोजन करके गठित किया जाना चाहिए, जो आवश्यक हो सकता है, यह कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन्हें स्वतंत्र राज्यों के तौर पर गठन करने के

लिए एकत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें घटक इकाइयाँ स्वायत्त और संप्रभु होंगी" और (II) "इन इकाइयों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए और उनसे विचार-विमर्श करके संविधान में पर्याप्त, प्रभावी और अनिवार्य सुरक्षा उपायों को विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।" इस सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था (क) कि उत्तर पश्चिमी और पूर्वी मुस्लिम क्षेत्रों को दो स्वतंत्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, (ख) कि इन राज्यों की घटक इकाइयाँ स्वायत्त और संप्रभु होनी चाहिए, (ग) कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ-साथ हितों के संदर्भ में और उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए, और (घ) कि इन संबंधों में खुद अल्पसंख्यकों के परामर्श से संवैधानिक प्रावधान कि ये जाने चाहिए। मुझे इस प्रस्ताव पर और 11 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में क़ायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कथन पर विश्वास था कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान, दोनों को पाकिस्तानी बताते हुए उनके साथ एक समान व्यवहार का आश्वासन दिया था। तब धर्म के आधार पर लोगों को पूर्ण रूप से मुस्लिम नागरिकों और जिम्मीओं को इस्लामिक राज्य और उसके मुस्लिम नागरिकों के तौर पर निरंतर बांधे रखने के आधार पर बाँटने का कोई सवाल ही नहीं था। आपकी जानकारी के लिए इनमें से हर एक संकल्प को और क़ायदे आज़म की इच्छाओं और भावनाओंकी पूर्ण अवहलेना और अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और अपमान के लिए आपकी मंजूरी के साथ स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है।

8. इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मैंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। इस संबंध में एक अभियान शुरू करने में मुझे न केवल सभी पक्षों के जबरदस्त प्रतिरोध, बल्कि अकथनीय दुर्व्यवहार, अपमान और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। बड़े अफसोस के साथ, मैं उन दिनों को याद करता हूँ, जब इस भारत-पाकिस्तान उप-महाद्वीप के 32 करोड़ हिंदू मेरे खिलाफ हो गये और मुझे हिन्दुओं और हिंदू धर्म का दुश्मन करार दिया, लेकिन मैं पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा पर अविचलित और अटल रहा। यह

आभार प्रकट करने की बात है कि पाकिस्तान के 70 लाख अनुसूचित जाति के लोगों ने मेरी अपील पर तत्पर और उत्साही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझे अपना अत्यधिक समर्थन, सहानुभूति और प्रोत्साहन दिया।

9. 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान की स्थापना के बाद आपने पाकिस्तान मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें मुझे शामिल किया गया और ख्वाजा नजीमुद्दीन ने पूर्वी बंगाल के लिए एक प्रावैधानिक मंत्रिमंडल का गठन किया। 10 अगस्त को, मैंने कराची में ख्वाजा नज़ीमुद्दीन से बात की थी और उनसे पूर्वी बंगाल मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के 2 मंत्रियों को लेने का आग्रह किया। उसने यह काम कुछ समय बाद करने का वादा किया। इस संबंध में बाद में जो हुआ, वह आपके, ख्वाजा नज़ीमुद्दीन और पूर्वी बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नुरुल अमीन के साथ सिर्फ अप्रिय और निराशाजनक बातचीत का रिकॉर्ड था। जब मुझे एहसास हुआ कि ख्वाजा नज़ीमुद्दीन मुद्दे को इस या उस बहाने से टाल रहे थे, तो मैं लगभग अधीर और उत्तेजित हो गया। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इसकी पूर्वी बंगाल शाखा के अध्यक्षों से इस विषय पर आगे चर्चा की। अंततः मैं मामला आपके संज्ञान में लाया। आपने अपने आवास पर मेरी उपस्थिति में ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। ख्वाजा नज़ीमुद्दीन ढाका लौटकर अनुसूचित जाति का एक मंत्री बनाने पर सहमत हुए। चूंकि मैं पहले ही ख्वाजा नजीमुद्दीन के आश्वासन पर शंकाग्रस्त था, इसलिए, मैं समय-सीमा के बारे में निश्चित होना चाहता था। मैंने जोर देकर कहा कि उन्हें इस संबंध में एक महीने के भीतर कदम उठाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर मुझे इस्तीफा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप और ख्वाजा नजीमुद्दीन दोनों ही शर्तपर सहमत थे, लेकिन अफसोस! आपका शायद वह मतलब नहीं था, जो आपने कहा। ख्वाजा नजीमुद्दीन ने अपना वादा नहीं निभाया। श्री नुरुल अमीन के पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद, मैंने उनके सामने फिर यह विषय उठाया। उन्होंने भी टालमटोल की उसी पुरानी परिचित रणनीति का पालन किया। जब 1949 में ढाका के आपके दौरे से पहले मैंने इस मामले पर फिर से आपका ध्यान आकर्षित किया, तो आप मुझे आश्वस्त किया कि पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक मंत्रियों को नियुक्त किया

जायेगा, और आपने मुझसे विचार के लिए 2/3 नाम मांगे। आपकी इच्छा के अनुसार, मैंने आपको पूर्वी बंगाल विधानसभा में फेडरेशन ग्रुप के बारे बताते हुए और तीन नामों का सुझाव देते हुए एक नोट भेजा। ढाका से आपकी वापसी पर जब मैंने पूछताछ की कि क्या हुआ, तो आप बहुत उदासीन दिखे और केवल यह टिप्पणी की कि : "नूरुल अमीन को दिल्ली से वापस आने दो"। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से इस बात को उठाया, लेकिन आपने मुद्दे को टाल दिया। तब मैं इस निष्कर्ष पर आने के लिए विवश हुआ कि न तो आपका, न ही श्री नूरुल अमीन का पूर्वी बंगाल मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के किसी मंत्री को लेने का कोई इरादा है। इसके अलावा, मैं यह गौर कर रहा था कि श्री नुरुल अमीन और पूर्वी बंगाल के कुछ लीगी नेता, अनुसूचित जाति महासंघ के सदस्यों के बीच विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नेतृत्व और व्यापक लोकप्रियता को नुकसानदायक माना गया। पाकिस्तान के आमतौर पर अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए मेरे मुखर, सतर्क और ईमानदारी भरे प्रयास पूर्वी बंगाल सरकार और कुछ लीगी नेताओं के लिए नाराजगी के विषय थे। इससे अविचलित रह कर, मैंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अपना कड़ा रुख अपनाया।

**10.** जब बंगाल के विभाजन का सवाल उठा, तो विभाजन के प्रत्याशित खतरनाक परिणामों से अनुसूचित जाति के लोग सशंकित हो गये। उनकी ओर से एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुहरावर्दी से मिला, जिन्होंने यह घोषणा करते हुए प्रेस को एक बयान जारी किया कि अनुसूचित जाति के लोगों को मिले अधिकारों और विशेषाधिकारों में विभाजन के बाद कोई भी कटौती नहीं की जायेगी और उन्हें न केवल मौजूदा अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ मिलता रहेगा, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यह आश्वासन श्री सुहरावर्दी ने न केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, बल्कि अपनी लीग सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में भी दिया। मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विभाजन के बाद, विशेषकर कायदे-आज़म की मृत्यु के बाद, अनुसूचित जाति को किसी भी मामले में उचित बर्ताव नहीं मिला है। आप याद करेंगे कि मैंने समय-समय पर अनुसूचित

जातियों की शिकायतों को आपके संज्ञान में लाया था। मैंने आपको कई अवसरों पर पूर्वी बंगाल में अक्षम प्रशासन की प्रकृति के बारे में समझाया। मैंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये। मैंने पुलिस द्वारा अगंभीर आधारों पर की गयी बर्बर अत्याचार की घटनाओं को आपके ध्यान में लाया। मैं पूर्वी बंगाल सरकार, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन और मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा अमल में लायी गयी हिंदू विरोधी नीति को आपके ध्यान में लाने से नहीं हिचका।

**11.** मुझे झकझोरने वाली पहली घटना गोपालगंज के पास दिघारकुल नामक गाँव में घटी जहाँ एक मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नामशूद्रों पर क्रूर अत्याचार किये गये। तथ्य यह था कि नाव में जा रहे एक मुसलमान ने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद एक नामशूद्र ने अपने सामने जाल फेंकने का विरोध किया। इसके बाद कुछ कहासुनी हुई और मुस्लिम नाराज हो गया और पास के मुस्लिम गाँव में गया और झूठी शिकायत की कि उस पर और उनकी नाव में बैठी एक महिला पर नामशूद्रों द्वारा हमला किया गया। उस समय, गोपालगंज के एसडीओ नहर के रास्ते एक नाव से गुजर रहे थे, जिन्होंने बिना किसी जाँच के शिकायत को सच मान लिया और नामशूद्रों को दंडित करने के लिए सशस्त्र पुलिस को मौके पर भेजा। सशस्त्र पुलिस आ गयी और स्थानीय मुसलमान भी उनके साथ हो लिये। उन्होंने न केवल नामशूद्रों के कुछ घरों पर छापा मारा, बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को बेरहमी से पीटा, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया और कीमती सामान उठा ले गये। एक गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई से मौके पर ही उसका गर्भपात हो गया। स्थानीय प्रशासन की इस क्रूर कार्रवाई ने एक बड़े क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी।

**12.** पुलिस उत्पीड़न की दूसरी घटना 1949 के शुरुआती दौर में बाड़िसाल जिले के गौरनादी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में घटी। यहाँ एक यूनियन बोर्ड के सदस्यों के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ। एक समूह जो पुलिस की नजर में अच्छा था, उसने विरोधियों के खिलाफ उनके कम्युनिस्ट होने की दलील पर साजिश रची। पुलिस स्टेशन पर हमले के खतरे की सूचना पर, गौरनादी के ओसी ने मुख्यालय से सशस्त्र बलों को भेजने का

अनुरोध किया। सशस्त्र बलों की मदद से पुलिस ने तब इलाके में बड़ी संख्या में घरों पर छापा मारा, यहाँ तक कि उन अनुपस्थित मालिकों के घरों से भी मूल्यवान संपत्ति लेते गये, जो कम्युनिस्ट तो दूर, राजनीति तक में कभी नहीं थे। एक बड़े इलाके में भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई हाई इंग्लिश स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों पर कम्युनिस्ट होने का संदेह किया गया और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। यह इलाका मेरे पैतृक गाँव के बहुत करीब है, मुझे इस घटना के बारे में बताया गया। मैंने जाँच के लिए जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को लिखा। स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने भी एसडीओ द्वारा जाँच के लिए प्रार्थना की। लेकिन कोई जाँच नहीं हुई। यहाँ तक कि जिले के अधिकारियों को लिखे गये मेरे पत्रों का भी संज्ञान नहीं लिया गया। तब मैं इस मामले को आपके समेत पाकिस्तान के सर्वोच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

**13.** निर्दोष हिन्दुओं, विशषे रूप से सिलहट जिले के हबीबगढ़ के अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस और सेना द्वारा कि ये गये अत्याचार का वर्णन अपेक्षित है निर्दोष पुरुषों और महिलाओं को क्रूरतापर्वूक प्रताड़ित किया गया, कुछ महिलाओं से बलात्कार किया गया, उनके घरों पर छापा मारा गया। पुलिस और स्थानीय मुसलमानों द्वारा संपत्तियाँ लूटी गयीं। क्षेत्र में सैन्य पिकेट तैनात थे। सेना ने न केवल इन लोगों पर अत्याचार किया और हिंदू घरों से जबरन सामान छीन लिये, बल्कि रात के समय शिविर में सैनिकों की जिस्मानी इच्छा को पूरा करने के लिए हिन्दुओं को अपनी महिलाएँ भेजने के लिए भी मजबूर किया गया। यह तथ्य भी मैं आपके ध्यान में लाया। आपने मुझे इस मामले पर एक रिपोर्ट का आश्वासन दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी।

**14.** इसके बाद राजशाही जिले के नाचोल में घटना घटी, जहाँ कम्युनिस्टों के दमन के नाम पर न केवल पुलिस ने, बल्कि पुलिस के सहयोग से स्थानीय मुसलमानों ने भी हिन्दुओं पर अत्याचार किया और उनकी संपत्ति लूट ली। तब संथाल सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आ गये थे। उन्होंने मुसलमानों और पुलिस द्वारा बेरहमी से किये अत्याचारों की कहानियाँ सुनायीं।

**15.** 20 दिसंबर, 1949 को खुलना जिले के मोलरहाट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत कलशीरा में एक घटना के जरिये एक संवेदनाहीन और सोची-समझी क्रूरता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। हुआ यह कि देर रात चार कांस्टेबलों ने कुछ कथित कम्युनिस्टों की तलाश में कलशीरा के जोयदेव ब्रह्मा के घर पर छापा मारा। पुलिस की भनक मिलने पर, आधा दर्जन युवा, जिनमें से कुछ कम्युनिस्ट हो सकते हैं, घर से भाग गये। पुलिस कांस्टेबल ने घर में घुसकर जोयदेव ब्रह्मा की पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके चिल्लाने की आवाज से घर से भागे उसके पति और उसके कुछ साथी विवश हो गये। वे हताश होकर फिर से घर में आये, जहाँ केवल 4 कांस्टेबल एक बंदूक के साथ मिले। संभवत: इससे उत्साहित उन यवुाओं ने एक सशस्त्र कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी। युवकों ने तब एक और कांस्टेबल पर हमला किया जबकि दो अन्य भाग गये और उन्होंने अलार्म बजा दिया जिस सुनकर कुछ पड़ोसी उनके बचाव में आ गये। चूंकि घटना सूर्योदय से पहले अँधेरा रहने पर हुई थी, इसलिए ग्रामीणों के आने से पहले हमलावर शव लेकर भाग गये। अगले दिन दोपहर में खुलना के एसपी सैन्य टुकड़ी और सशस्त्र पुलिस के साथ मौके पर पहुँचे। इस बीच, हमलावर भाग गये और बुद्धिमान पड़ोसी भी भाग गये, लेकिन अधिकांश ग्रामीण अपने घरों में बने रहे क्योंकि वे बिल्कुल निर्दोष थे और इस घटना के परिणाम को भाँपने में विफल रहे। इसके बाद एसपी, सैन्य टुकड़ी और सशस्त्र पुलिस ने पूरे गाँव के निर्दोष लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, पड़ोसी मुस्लिमों को उनकी संपत्ति लूटने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत से लोग मारे गए और पुरुषों और महिलाओं को जबरन धर्मांतरित किया गया। घर में देव प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया और पूजा स्थलों को उजाड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। कई महिलाओं के साथ पुलिस, सेना और स्थानीय मुसलमानों ने बलात्कार किया। इस प्रकार एक प्रामाणिक नर्क न केवल भारी आबादी वाले 11/2 मील लंबे कलशीरा गाँव में, बल्कि कई पड़ोसी नामशूद्र गाँवों में भी पसरा था। कलशीरा गाँव पर प्रशासन ने कभी भी कम्युनिस्ट गतिविधियों का स्थल होने का संदेह नहीं किया था। कलशीरा से 3 मील दूर स्थित झालारंगा नामक एक अन्य  गाँव को

कम्युनिस्ट गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। उस दिन पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने कथित कम्युनिस्टों की तलाश में इस गाँव पर छापा मारा था, जिनमें से कई भाग निकले और कलशीरा गाँव के उक्त घर में शरण ली, जो उनके लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता था।

**16.** मैंने 28 फरवरी 1950 को कलशीरा और एक या दो पड़ोसी गाँवों का दौरा किया। खुलना के एसपी और जिले के कुछ प्रमुख लीगी नेता मेरे साथ थे। जब मैं कलशीरा गाँव में आया, तो मैंने उस स्थान पर सिर्फ और सिर्फ उजाड़ और खंडहर पाया। एसपी की उपस्थिति में मुझे बताया गया कि इस गाँव में 350 घर थे, इनमें से केवल तीन को बख्शा गया था और बाकी को ढहा दिया गया था। नामशूद्रों की देसी नावें और मवेशी, सबकुछ लूट लिया गया था। मैंने इन तथ्यों को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पूर्वी बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक और आपको सूचित किया।

**17.** इस संबंध में उल्लेख किया जा सकता है कि इस घटना की खबर पश्चिम बंगाल प्रेस में प्रकाशित हुई थी और इसने वहाँ के हिन्दुओं में कुछ अशांति पैदा की। कलशीरा के बहुत से पीड़ित, पुरुष और महिलाएँ, दोनों बेघर और निराश्रित होकर कलकत्ता भी आये थे और उन्होंने अपनी यातना की कहानियाँ सुनायीं, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में जनवरी के अंतिम समय में कुछ सांप्रदायिक झड़पें हुईं।

**18.** यह गौर किया जाना चाहिए कि कलशीरा में हुई घटनाओं के एक प्रकार के प्रतिशोध के रूप में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे की चंद कहानियां पूर्वी बंगाल प्रेस में अतिरंजित रूप में प्रकाशित हुई थीं। फरवरी 1950 के दूसरे सप्ताह में जब पूर्वी बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, तो कांग्रेस के सदस्यों ने कलशीरा और नाचोल में पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए दो स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रस्ताव ठुकरा दिये गये। इसके विरोध में कांग्रेस सदस्य विधानसभा से बाहर चले गये। विधानसभा के हिंदू सदस्यों की इस कदम ने न केवल मंत्रियों बल्कि प्रांत के मुस्लिम नेताओं और अधिकारियों को भी नाराज कर दिया। यह फरवरी 1950 में ढाका और पूर्वी बंगाल के दंगों के प्रमुख कारणों में से शायद एक था।

**19.** गौरतलब है कि 10 फरवरी, 1950 को सुबह लगभग 10 बजे बजे यह दिखाने के लिए कि कलकत्ता दंगे में उसके स्तन काट दिये गये, एक महिला को लाल रंग से रंगा गया और उसे ढाका में पूर्वी बंगाल सचिवालय के पास लाया गया। तत्काल ही सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों ने काम रोक दिया और हिन्दुओं के खिलाफ बदला लेने के नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल हो गये। जुलूस एक मील से अधिक की दूरी पर पहुँचते ही भीड़ बढ़नी शुरू हुई। यह दोपहर 12 बजे विक्टोरिया पार्क में एक सभा में जाकर समाप्त हुआ, जहाँ अधिकारियों सहित कई वक्ताओं द्वारा हिन्दुओं के खिलाफ हिसंक भाषण दिए गए। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प यह था कि जब सचिवालय के कर्मचारी बाहर जुलूस में निकले थे, तो पूर्वी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव अपने पश्चिम बंगाल के समकक्ष के साथ दोनों बंगालों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने का रास्ता और जरिया तलाशने के लिए उसी भवन में एक बैठक कर रहे थे।

**20.** दंगा लगभग 1 बजे पूरे शहर में एक साथ शुरू हुआ। आगजनी, हिंदू दुकानों और घरों को लूटना और जहाँ भी मिले, हिन्दुओं की हत्या शहर के सभी हिस्सों में पूरी ताकत के साथ शुरू हुआ। मुझे मुसलमानों से भी सबूत मिला कि पुलिस उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में भी आगजनी और लूटपाट की गयी थी। पुलिस अधिकारियों की मौजदूगी में हिन्दुओं के आभूषण की दुकानों को लूट लिया गया। उन्होंने लूट को रोकने का प्रयास नहीं किया तथा सलाह और निर्देशन देकर लुटेरों की मदद भी की। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि मैं उसी दिन, 10 फरवरी, 1950 को दोपहर बाद 5 बजे ढाका पहुँच गया। यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक था कि मुझे निकट पक्षों से चीजों को देखने और जानने का अवसर मिला। मैंने प्रथम सूचना से जो कुछ देखा और जाना, वह सीधे-सीधे चौंका देने वाला और हृदय विदारक था।

**21. ढाका दंगे के मुख्य रूप से पाँच कारण थे :**

**(i)** कलशीरा और नाचोल प्रकरण पर दो स्थगन प्रस्तावों को ठुकरा दिये जाने पर, विधानसभा में हिन्दुओं के प्रतिनिधियों द्वारा

विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करके अपने विरोध का प्रदर्शन करने के दुस्साहस के लिए हिन्दुओं को दडिंत करना।

**(ii)** संसदीय दल में सुहरावर्दी गुट और नज़ीमुद्दीन गुट के बीच कलह और मतभेद तीव्र होते जा रहे थे।

**(iii)** हिंदू और मुस्लिम, दोनों नेताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम बंगाल के फिर से मिलन के लिए आंदोलन शुरू करने की आशंका ने पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग को भयभीत कर दिया। वे ऐसी कार्रवाई को रोकना चाहते थे। हालांकि, वे जानते थे कि पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा होने पर पश्चिम बंगाल में प्रतिक्रियाएँ होनी तय थीं, जहाँ मुसलमान मारे जा सकते थे। ऐसा माना गया कि पूर्वी और पश्चिम बंगाल, दोनों में इस तरह के दंगों के परिणामस्वरूप बंगाल के पुनरेकीकरण का कोई भी आंदोलन रुक जायेगा।

**(v)** पूर्वी बंगाल में बंगाली मुसलमानों और गैर-बंगाली मुसलमानों के बीच दुश्मनी की भावनाएँ जोर पकड़ रही थीं। इसे केवल पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के जरिये रोका जा सकता था। भाषा का सवाल भी इसके साथ जुड़ा था और

**(v)** पूर्वी बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए गैर-अवमूल्यन और भारत-पाकिस्तान व्यापार गतिरोध के परिणामों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जा रहा था और मुस्लिम लीग के सदस्य और अधिकारी हिन्दुओं के खिलाफ एक तरह के जिहाद के जरिये आसन्न आर्थिक गिरावट की ओर से मुस्लिम जनता का ध्यान हटाना चाहते थे।

**22.** ढाका में मेरे नौ दिनों के प्रवास के दौरान, मैंने शहर और उपनगरों के दंगा प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने तेजगाँव पुलिस स्टेशन के तहत मीरपुर का दौरा भी किया। ढाका और नारायणगंज के बीच रेलवे लाइनों पर, ट्रेनों में और ढाका और चटगाँव में सैकड़ों निर्दोष हिन्दुओं की हत्या की ख़बर ने मुझे सबसे ज्यादा आघात पहुँचाया। ढाका दंगे के दूसरे दिन, मैंने पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और

उनसे ज़िले के कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दंगा फैलने से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। 20 फरवरी 1950 को, मैं बारिसाल शहर पहुँचा और बारिसाल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर हरैान रह गया। जिला नगर में, कई हिंदू घर जला दिये गये और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गये। मैंने जिले के लगभग सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला नगर से छह मील के दायरे में स्थित और मोटर योग्य सड़कों से जुड़े कासीपुर, माधबपाशा और लकुटिया जैसे स्थानों तक में मुस्लिम दंगाइयों द्वारा कहर ढाने जाने से हैरान रह गया। माधबपाशा के जमींदार के घर पर, लगभग 200 लोग मारे गये और 40 घायल हुए। मुलदी नामक स्थान पर एक भयानक नर्क देखा गया। जैसा कि कुछ अधिकारियों सहित स्थानीय मुसलमानों ने मुझे बताया, अकेले मुलदी बन्दर में मारे गये लोगों की कुल संख्या तीन सौ से अधिक रही होगी। मैंने मुलदी गाँव का भी दौरा किया, जहाँ मुझे कुछ स्थानों पर शवों के कंकाल मिले। मैंने कुत्तों और गिद्धों को नदी किनारे लाशें खाते हुए पाया। मुझे वहाँ जानकारी मिली कि सभी वयस्क पुरुषों की हत्या के बाद, सभी युवा लड़कियों को उपद्रवियों के नेताओं के बीच बाँटा गया था। राजपुर पुलिस स्टेशन के तहत कैबरतखली नामक स्थान पर लोग मारे गये थे। उक्त थाना कार्यालय से एक पत्थर की फेंकने के दायरे के भीतर हिंदू घरों को लूट लिया गया, जला दिया गया और उसमें रहने वालों को मार डाला गया। बाबूगंज बाजार की सभी हिंदू दुकानों को लूट लिया गया और फिर जला दिया गया और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गये। प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, अकेले बारिसाल जिले में मृतकों की संख्या का रूढ़िवादी अनुमान 2500 था। ढाका और पूर्वी बंगाल दंगा के कुल मारे गये लोगों की संख्या का अनुमान 10,000 के आसपास था। अपने प्रियजनों सहित सबकुछ खो देने वाले महिलाओं और बच्चों के विलाप ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने केवल अपने आप से पूछा "पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर क्या आ रहा था!"

**23.** मार्च के उत्तरार्ध में बंगाल से हिन्दुओं का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। ऐसा लगा कि कुछ ही समय में सभी हिंदू भारत चले जायेंगे।

भारत में युद्ध की मांग तेज हुई थी। स्थिति अत्यंत नाजुक हो गयी। एक राष्ट्रीय आपदा अपरिहार्य प्रतीत हुई। हालांकि, 8 अप्रैल के दिल्ली समझौते से आशंकित विपदा टल गयी। घबराये हिन्दुओं के पहले से ही खोये हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, मैंने पूर्वी बंगाल का व्यापक दौरा किया। मैंने ढाका, बारिसाल, फरीदपुर, खुलना और जेसोर जिलों के कई स्थानों का दौरा किया। मैंने भारी भीड़ वाली दर्जनों सभाओं को संबोधित किया और हिन्दुओं से हिम्मत रखने और अपने पुश्तैनी काम और घरों को नहीं छोड़ने के लिए कहा। मुझे यह उम्मीद थी कि पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते की शर्तों को लागू करेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ, मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि न तो पूर्वी बंगाल सरकार और न तो मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते के कार्यान्वयन के मामले में वास्तव में इच्छुक थे। पूर्वी बंगाल सरकार न तो दिल्ली समझौते में परिकल्पित एक मशीनरी स्थापित करने के लिए तैयार थी और न ही इस उद्देश्य के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी तैयार थी। दिल्ली समझौते के तुरंत बाद पैतृक गाँव लौटने वाले कई हिन्दुओं को उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा नहीं दिया गया, जो इस बीच मुसलमानों द्वारा कब्जा कर लिये गये थे।

**24.** लीग के नेताओं के इरादे के बारे में मेरा संदेह तब पुष्ट हुआ जब मैंने 'मोहम्मदी' नामक मासिक पत्रिका के "बैसाख" अंक में प्रांतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना अकरम खान की संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ा। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉ.ए.एम.मलिक के ढाका रेडियो स्टेशन से पहले रेडियो-प्रसारण, जिसमें उन्होंने कहा, "यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद ने अरब में यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी", पर टिप्पणी करते हुए मौलाना अकरम खान ने कहा, "डॉ. मलिक ने अच्छा किया होता कि उन्होंने अरब के यहूदियों का अपने भाषण में कोई संदर्भ नहीं दिया होता। यह सच है कि अरब में यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी थी, लेकिन यह इतिहास का पहला अध्याय था। अंतिम अध्याय में पैगंबर मोहम्मद की निश्चित दिशा है जो निम्नानुसार है:- "सभी यहूदियों को अरब से निकाल दें"। मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक और

आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान हासिल करने वाले एक व्यक्ति की इस संपादकीय टिप्पणी के बावजूद, मैंने अपेक्षा पाली कि नूरुल अमीन सरकार शायद इतनी निष्ठाहीन न हो, लेकिन जब श्री नूरुल अमीन ने दिल्ली समझौते, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास बहाल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों में से एक को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रालय में लिया जायेगा। इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री के रूप में डी.एन. बरारी का चयन किया तो मेरी यह उम्मीद पूरी तरह से चकनाचूर हो गयी।

**25.** अपने एक सार्वजनिक बयान में, मैंने यह विचार व्यक्त किया कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री के रूप में डी.एन. बरारी की नियुक्ति ने न तो किसी भी विश्वास को बहाल करने में मदद की, इसके विपरीत, श्री नुरुल अमीन की सरकार की निष्ठा के बारे में अल्पसंख्यकों के मन में यदि कोई उम्मीद भ्रम थे, तो उन्हें भी नष्ट कर दिया। मेरी स्वयं की प्रतिक्रिया यह थी कि श्री नुरुल अमीन की सरकार न केवल निष्ठाहीन थी, बल्कि दिल्ली समझौते के प्रमुख उद्देश्यों को भी पराजित करना चाहती थी। मैं फिर से दोहराता हूँ कि डी.एन. बरारी खुद को छोड़कर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे पैसे और संगठन के जरिये कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधानसभा में वापस आये थे। उन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन के उम्मीदवारों का विरोध किया। अपने चुनाव के कुछ समय बाद, उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और फेडरेशन में शामिल हो गये। जब उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया, तब वे फेडरेशन की सदस्यता रोक दी थी। मुझे पता है कि पूर्वी बंगाल के हिंदू मुझसे सहमत हैं कि अपने अतीत, चरित्र और बुद्धिजीविता के आधार पर बरारी में दिल्ली समझौते में परिकल्पित मंत्री के पद पर रहने की योग्यता नहीं है।

**26.** मैंने इस पद के लिए श्री नुरुल अमीन को तीन नामों की सिफारिश की थी। मेरे द्वारा सुझाये गये व्यक्तियों में से एक एम.ए., एल.एल.बी. और ढाका हाईकोर्ट का एडवोकेट थे। वह बंगाल में प्रथम फ़ज़लुल हक सरकार में 4 साल से अधिक समय तक मंत्री रहे। वह कोलमाइंस स्टोविंग बोर्ड, कलकत्ता के लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। वह

अनुसूचित जाति महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। मेरा द्वारा नामित दूसरा नाम बी.ए., एल.एल.बी. थे। वे सुधार-पूर्व दौर में 7 वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे। मैं जानना चाहूँगा कि श्री नुरुल अमीन के लिए इन दो सज्जनों में से किसी का चयन न करने और इनकी बजाय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं जिनकी मंत्री के रूप में नियुक्ति पर मैंने बहुत ही उचित कारणों से कड़ी आपत्ति जतायी थी। किसी भी विरोधाभास के डर के बिना मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली समझौते के संदर्भ में बरारी को मंत्री के रूप में चुनने का श्री नुरुल अमीन का यह कदम इस बात का निर्णायक सबूत है कि पूर्वी बंगाल सरकार दिल्ली समझौते, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जो हिन्दुओं को अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म के लिए सुरक्षा की भावना के साथ पूर्वी बंगाल में रहना जारी रख सकें, की शर्तों के बारे में अपने व्यवहार में न तो गंभीर थी और न ही ईमानदार।

**27.** मैं इस संबंध में अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहूँगा कि पूर्वी बंगाल सरकार अभी भी हिन्दुओं को प्रांत से बाहर निकालने की सुनियोजित नीति का पालन कर रही है। एक से अधिक अवसरों पर आपके साथ अपनी चर्चा में, मैंने इस विचार को अभिव्यक्ति दी। मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान से हिन्दुओं को बाहर निकालने की यह नीति पश्चिम पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल हो गयी है और पूर्वी पाकिस्तान में भी पूरी होने जा रही है। एक मंत्री के रूप में डी.एन.बरारी की नियुक्ति और इस संबंध में मेरी सिफारिश पर पूर्वी बंगाल सरकार की अकारण आपत्ति उस भावना की सख्ती से पुष्टि करती है जिसे वे इस्लामिक स्टेट कहते हैं पाकिस्तान ने हिन्दुओं को समग्र संतुष्टि और सुरक्षा का पूरा एहसास नहीं दिया है। वे अब हिंदू बुद्धिजीवियों से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन उनसे किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

**28.** मैं यह समझने में नाकाम रहा हूँ कि मतदाता के सवाल पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया गया है। अब अल्पसंख्यक उप समिति की नियुक्त किये तीन साल हो गये हैं। इसकी तीन अवसरों पर बैठक हुई। पिछले दिसंबर में आयोजित समिति की एक बैठक में संयुक्त या पृथक निर्वाचक

मंडल होने का प्रश्न विचार करने के लिए आया जब पाकिस्तान में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों के सभी प्रतिनिधियों ने पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन के समर्थन में अपना विचार व्यक्त किया। हमने अनुसूचित जाति की ओर से, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन की मांग की। यह मामला पिछले अगस्त में हुई बैठक में फिर से विचार के लिए आया था, लेकिन इस बिंदु पर किसी भी चर्चा के बिना, बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान के शासकों की ओर से इस तरह के महत्वपूर्ण मामले के संबंध में इस तरह के कुटिल तिकड़म के पीछे मकसद क्या है।

**29.** दिल्ली समझौते के परिणामस्वरूप पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में अब, मुझे यह कहना चाहिए कि वर्तमान स्थिति न केवल असंतोषजनक है, बल्कि पूरी तरह से निराशाजनक है और भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय और धूमिल है। कम से कम पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं का विश्वास बहाल नहीं हुआ है इस समझौते को पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा समान रूप से कागज के कबाड़ के रूप में माना जाता है। हिन्दू प्रवासियों की एक बड़ी संख्या, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति के काश्तकार है, पूर्वी बंगाल लौट रहे हैं, यह कोई संकेत नहीं है कि विश्वास बहाल किया गया है। यह केवल इंगित करता है कि उनका पश्चिम बंगाल या भारतीय संघ में कहीं और पुनर्वास संभव नहीं हुआ है। शरणार्थी जीवन के कष्ट उन्हें अपने घरों में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा, उनमें से कई चल संपत्ति लाने और अचल संपत्तियों का निपटारा करने जा रहे हैं। हाल ही में पूर्वी बंगाल में कोई गंभीर सांप्रदायिक उपद्रव नहीं होने का श्रेय दिल्ली समझौते को नहीं दिया जाना है। यह तब भी जारी नहीं रह सकता था जब कोई समझौता या संधि नहीं हुई होती।

**30.** यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिल्ली समझौता अपने आप में एक अंत नहीं था। यह इरादा था कि ऐसी स्थितियाँ बनायी जायेंगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद कई विवादों और संघर्षों को सुलझाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकती हैं। लेकिन समझौते के बाद छह महीने की इस अवधि के दौरान, कोई विवाद या संघर्ष वास्तव में

हल नहीं हुआ है। इसके विपरीत, देश और विदेश में पाकिस्तान द्वारा सांप्रदायिक दुष्प्रचार और भारत-विरोधी प्रचार पूरे जोरों पर जारी है। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग द्वारा कश्मीर दिवस मनाया जाना पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी सांप्रदायिक प्रचार का एक स्पष्ट प्रमाण है। पंजाब (पाक) के गवर्नर के हालिया भाषण में यह कहा जाना कि भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत सेना की आवश्यकता है, इसने भारत के प्रति पाकिस्तान के वास्तविक रवैये को धोखा दिया है। यह केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ायेगा।

**31.** पूर्वी बंगाल में आज क्या स्थिति है? देश के बँटवारे के बाद से लगभग पचास लाख हिंदू पलायन कर गये हैं। पिछले फरवरी के पूर्वी बंगाल दंगों के अलावा, हिन्दुओं के इतने बड़े पैमाने पर पलायन के कई कारण हैं। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, चिकित्सा पेशेवरों, दुकानदारों, व्यापारियों और व्यवसायियों के बहिष्कार ने हिन्दुओं को अपनी आजीविका के साधनों की तलाश में पश्चिम बंगाल में पलायन करने के लिए मजबूर किया है। हिंदू घरों के बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किये थोक में अधिग्रहण और मालिकों को किसी भी किराये का भुगतान न किये जाने से उन्हें भारतीय आश्रय की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। हिंदू जमींदारों को किराये का भुगतान बहुत पहले रोक दिया गया था। इसके अलावा अंसार, जिनके खिलाफ मुझे सभी जगह से शिकायतें मिली थीं, हिन्दुओं की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए एक स्थायी खतरा हैं। शिक्षा प्राधिकरण द्वारा इस्लामीकरण के लिए शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप और अपनाये गये तरीकों ने माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों को उनके पुराने आजीविका स्थलों से बाहर कर दिया है। उन्होंने पूर्वी बंगाल छोड़ दिया है। परिणामस्वरूप, अधिकांश शिक्षण संस्थान बंद हो गये हैं। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले शिक्षा प्राधिकरण ने माध्यमिक स्कूलों में परिपत्र जारी किया था, जिसमें स्कूल का काम शुरू होने से पहले पवित्र कुरान का पाठ करने में सभी समुदायों के शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गयी थी। एक अन्य परिपत्र में स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को परिसर के विभिन्न ब्लॉकों को जिन्ना,

इकबाल, लियाकत अली, नजीमुद्दीन, आदि जैसे 12 विशिष्ट मुस्लिमों के नाम पर रखने की आवश्यकता बतायी गयी थी। हाल ही में ढाका में आयोजित एक शैक्षिक सम्मेलन में राष्ट्रपति ने खुलासा किया। पूर्वी बंगाल में 1500 हाई इंग्लिश स्कूलों में केवल 500 काम कर रहे थे। चिकित्सा पेशेवरों के प्रवास के कारण मरीजों के समुचित इलाज का कोई साधन नहीं है। लगभग सभी पुजारी, जो हिंदू घरों में घरेलू देवताओं की पूजा करते थे, पलायन कर गये हैं पूजा के महत्वपूर्ण स्थानों को परित्यक्त कर दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और विवाह जैसे सामाजिक समारोहों, जहाँ पुजारी की सेवाएँ आवश्यक हैं, को संपन्न कराने के लिए पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को अब शायद ही कोई साधन मिल सके। देवी-देवताओं की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर भी पलायन कर गये हैं। यूनियन बोर्डों के हिंदू अध्यक्षों को पुलिस और सर्किल अधिकारियों की सक्रिय मदद और मिलीभगत से मुसलमानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हिंदू हेडमास्टर और स्कूलों के सचिवों को मुसलमानों द्वारा प्रति स्थापित कर दिया गया है। कुछ हिंदू सरकारी कर्मचारियों का जीवन बेहद दयनीय बना दिया गया है क्योंकि उनमें से कई को या तो कनिष्ठ मुसलमानों के नीचे कर दिया गया है या पर्याप्त या बिना किसी भी कारण के बर्खास्त कर दिया गया है। हाल ही में चटगाँव के एक हिंदू लोक अभियोजक की सेवा से मनमाने ढंग से खत्म कर दिया गया था, जैसा कि श्रीजुक्ता नेलीसेन गुप्ता द्वारा दिये गये एक बयान में स्पष्ट है, जिनके खिलाफ कम से कम मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं मढ़ा जा सकता।

**32.** चोरी और डकैती के साथ हत्या तक पहले की तरह ही चल रहा है। थाना हिन्दुओं द्वारा की गयी आधी शिकायतों को भी शायद ही कभी दर्ज करते हैं। हाँ, हिंदू लड़कियों का अपहरण और बलात्कार एक निश्चित सीमा तक अवश्य कम हो गया है, वह भी केवल इस तथ्य के कारण है कि वर्तमान में 12 से 30 वर्ष की उम्र के बीच किसी भी जाति की हिंदू लड़की पूर्वी बंगाल में नहीं है। कुछ वंचित वर्ग की लड़कियाँ, जो अपने माता-पिता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उन्हें भी मस्लिुम गुंडों ने नहीं बख्शा। मुझे मुसलमानों द्वारा अनुसूचित जाति की

लड़कियों से बलात्कार की कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है बाजारों में हिन्दुओं द्वारा बेची जाने वाली जूट और अन्य कृषि वस्तुओं के लिए मुस्लिम खरीदारों शायद ही कभी पूरा भुगतान करते हैं तथ्य यह है कि जहाँ तक हिन्दुओं का संबंध है पाकिस्तान में कानून, न्याय या निष्पक्षता का कोई पालन नहीं है।

**33.** पूर्वी पाकिस्तान के सवाल को छोड़कर, अब मैं पश्चिमी पाकिस्तान, विशेषकर सिंध का संदर्भ देता हूँ। विभाजन के बाद पश्चिम पंजाब में अनुसूचित जातियों के लगभग एक लाख लोग थे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उनमें से बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गये थे। अथॉरिटी में बार-बार की गयी याचिकाओं के बावजदू मुस्लिमों द्वारा अगवा की गयी एक दर्जन अनुसूचित जातियों की लड़कियों में से केवल 4 को ही बरामद किया गया है। उन लड़कियों के नाम उनके अपहरणकर्ताओं के नाम साथ सरकार को दिये गये थे। हाल ही में अपहृत लड़कियों की बरामदगी के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये अंतिम जवाब में कहा गया कि "उनका कार्य हिंदू लड़कियों को वापस लाना था और 'अछूत' (अनुसूचित जाति ) हिंदू नहीं थे"। पाकिस्तान की राजधानी, सिंध और कराची में अभी भी रहने वाले कुछ हिन्दुओं की हालत दर्दनाक है। मुझे कराची और सिंध के 363 हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों की सूची मिली है (जो कि बहुत अच्छी एक विस्तृत सूची है) जो अभी भी मुसलमानों के कब्जे में हैं। कुछ मंदिरों को मोची की दुकानों, कत्लखानों और होटलों में तब्दील कर दिया गया है। कोई भी हिंदू वापस नहीं आया। बिना किसी सूचना के उनकी ज़मीन-जायदाद का कब्ज़ा उनसे छीन लिया गया और शरणार्थियों और स्थानीय मुसलमानों में बाँट दिया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि संरक्षक द्वारा 200 से 300 हिन्दुओं को बहुत समय पहले गैर-शरणार्थी घोषित किया गया था। लेकिन अब तक किसी की भी संपत्तियों को पुन: स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कराची पिंजिरापोल [ii] [2] पर कब्जे के लिए न्यासियों को पुन: स्थापित नहीं किया गया है, हालांकि कुछ समय पहले ही इसे गैर- शरणार्थी संपत्ति घोषित किया गया था। कराची में मुझे कई अपहृत हिंदू लड़कियों के अभागे पिताओं और पतियों की याचिकाएँ मिलीं, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जातियों

की थीं। मैंने इस तथ्य पर दूसरे अस्थायी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जिसका बहुत कम या कोई असर नहीं हुआ। बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियाँ जो अभी भी सिंध में रह रही हैं, उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया है।

**34.** जहाँ तक हिन्दुओं का संबंध है अब यह संक्षेप में पाकिस्तान की समग्र तस्वीर है, मुझे यह बताते हुए संकोच नहीं होगा कि पाकिस्तान के हिन्दुओं के सभी इरादों और उद्देश्यों को उनके अपने घरों में ही "निर्वासित" कर दिया गया है। उनका इसके अलावा कोई अन्य दोष नहीं है कि वे हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा बार-बार घोषणाएँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है और रहेगा। इस्लाम को दुनिया की सभी बुराइयों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में पेश किया जा रहा है। पूंजीवाद और समाजवाद की अतलुनीय द्वंद्व में आप इस्लामी समानता और बंधुत्व के प्रमुख लोकतांत्रिक मिलावट को प्रस्तुत करते हैं। शरीयत की विशाल सेटिंग में मुस्लिम अकेले शासक हैं जबकि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक जिम्मी हैं जो किसी कीमत पर सुरक्षा के हकदार हैं, और प्रधानमंत्री महोदय आप किसी भी अन्य के मुकाबले यह बेहतर जानते हैं कि वह कीमत क्या है। लंबे समय तक चिंतन और संघर्ष के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के लिए रहने की कोई जगह नहीं है और उनका भविष्य धर्मांतरण या विघटन की भयावह छाया से ग्रस्त है। उच्च वर्ग के हिंदू और राजनीतिक रूप से जागरूक अनुसूचित जाति के काफी लोग पूर्वी बंगाल छोड़ चुके हैं। मुझे भय है कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहेंगे उन्हें धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से या तो इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जायेगा या पूरी तरह से खत्म कर दिया जायेगा। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आप जैसे शिक्षा, संस्कृति और अनुभव वाला एक व्यक्ति किसी सिद्धांत का प्रतिपादक होना चाहिए जो कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और समानता और विवेक के सभी सिद्धांतों का विनाशक है। मैं आपको और आपके सहयोगियों को बता सकता हूँ कि, व्यवहार या प्रलोभन जो भी हो, हिन्दुओं के साथ अपने जन्म की भूमि में ही जिम्मियों के रूप में व्यवहार किया जायेगा। आज वे उदासी

लेकिन दहशत में अपने परिवारों और घरों को छोड़कर जा सकते हैं, जैसा कि वास्तव में उनमें से कई पहले ही कर चुके हैं। कल वे जीवन की अर्थव्यवस्था में अपने सही स्थान के लिए संघर्ष करें। कौन जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? जब मुझे विश्वास हो जाता है कि पाकिस्तान के केंद्र सरकार में मेरा रहना हिन्दुओं के लिए किसी भी तरह की मददगार नहीं है, तो मुझे अपने जमीर से नहीं, पाकिस्तान के हिन्दुओं के मन में और विदेशों में लोगों के सामने यह गलत धारणा पैदा करनी चाहिए कि हिंदू अपने जीवन, संपत्ति और धर्म के संबंध में सम्मान और उनके सुरक्षा की भावना के साथ वहाँ रह सकते हैं यह हिन्दुओं के बारे में है।

**35.** और उन मुसलमानों के बारे में क्या कहना जो लीगी शासकों और उनके भ्रष्ट और अक्षम नौकरशाही के दायरे के बाहर हैं? पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता नाम की शायद ही कोई चीज है। उदाहरण के लिए, खान अब्दुल गफ्फार खान का भाग्य, इस वीर देशभक्त भाई डॉ. खान साहब के लिए कई वर्षों तक कोई सामने नहीं आया। उत्तर-पश्चिमी और पाकिस्तान की पूर्वी  बेल्ट के लीगी नेताओं की एक बड़ी संख्या बिना मुकदमा के हिरासत में है। श्री सुहरावर्दी, बंगाल में लीग की बड़े पैमाने पर जीत होने के कारण व्यावहारिक उद्देश्य के लिए एक पाकिस्तानी कैदी है जिन्हें आवागमन और बोलने पर पाबंदी है। श्री फ़ज़लुल हक, जो बंगाल के बड़े प्रिय बुजुर्ग थे, जो उस समय के प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव के लेखक थे, ने ढाका हाईकोर्ट ऑफ़ ज्यूडिशियरी के सीमा प्रांत में एकांतवास कर रहे हैं और तथाकथित इस्लामी नियोजन पूरी तरह निर्मम है। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के बारे में ये आम बात है, इस बारे में कम कहना ही बेहतर है। उन्हें स्वतंत्र राज्य की स्वायत्त और संप्रभु इकाइयों का वादा किया गया था। इसके बदले उन्हें क्या मिला है? पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान की पश्चिमी बेल्ट के एक उपनिवेश में बदल दिया गया है, हालांकि इसकी आबादी जो पाकिस्तान की सभी इकाइयों से कुल मिलाकर बड़ी है। यह कराची का एक पुरातन अप्रभावी हिस्सा है जो उसके आदेशों को पूरा करता है। पूर्वी बंगाल के मुसलमान अपने जोश में रोटी चाहते थे और उनके पास इस्लामिक स्टेट और शरीयत के

रहस्यमयी काम थे जबकि उन्हें सिंध और पंजाब के सूखे रेगिस्तानों के बजाय पत्थर मिला।

**36.** पाकिस्तान की समग्र तस्वीर और अन्यों के साथ किये गये घिनौने और क्रूर अन्याय को अगर एक तरफ भी रख दें, तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी कोई कम दुखद, कड़वा और प्रदर्शन योग्य नहीं है। आपने प्रधानमंत्री और संसदीय दल के नेता के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक बयान जारी करने के लिए कहा, जो मैंने 8 सितंबर को किया था। आप जानते हैं कि मैं असत्य और अर्धसत्य, जो असत्य से भी खराब थे, से भरा बयान देने को तैयार नहीं था। जब तक मैं आपके साथ और आपके नेतृत्व में मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तब तक आपके अनुरोध को अस्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मैं अपने विवेक पर झूठे बहानों और असत्य के इस भार को उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ और मैंने आपके मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है, जो मैं यहाँ आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, और जिसे मैं आशा करता हूँ कि आप बिना देरी से स्वीकार करेंगे। आपको निश्चित रूप से इस काम को निपटाने या आपके इस्लामिक स्टेट के उद्देश्यों को पूरा करने वाले उपयुक्त और प्रभावी ढंग से निपटाने की छूट है।

***सादर,***

*एसडी/- जे.एन. मंडल*

*9 अक्टूबर, 1950*

* * * * *

# UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

## REGIONAL CENTRES AND THEIR RELATED DISTRICTS

## DISTRICTS

1. Saharanpur
2. Muzaffarnagar
3. Baghpat
4. Bijnor
5. Meerut
6. Amroha (Jyoti Ba Fule Nagar)
7. Shamli
8. Gaziyabad
9. Noida (Gautam Buddh Nagar)
10. Hapur (Panchsheel Nagar)
11. Bulandshahr
12. Aligarh
13. Mathura
14. Hathras
15. Agra
16. Firozabad
17. Etah
18. Mainpuri
19. Kasganj
20. Sambhal (Bhim Nagar)
21. Rampur
22. Badaun
23. Bareilly
24. Shahjahanpur
25. Pilibhit
26. Moradabad
27. Kannauj
28. Etawah
29. Auraiya
30. Kanpur Dehat
31. Kanpur Nagar
32. Hamirpur
33. Unnao
34. Fatehpur
35. Farrukhabad
36. Jhansi
37. Mahoba
38. Lalitpur
39. Jalaun
40. Chitrakoot
41. Kaushambi
42. Allahabad
43. Pratapgarh
44. Banda
45. Hardoi
46. Sitapur
47. Lucknow
48. Barabanki
49. Raebareli
50. Bahraich
51. Shravasti
52. Balrampur
53. Lakhimpur Kheri
54. Gonda
55. Ayodhya
56. Ambedkar Nagar
57. Sultanpur
58. Amethi(C.S.J. Nagar)
59. Basti
60. Siddharth Nagar
61. Maharajganj
62. Sant Kabir Nagar
63. Gorakhpur
64. Azamgarh
65. Mau
66. Deoria
67. Kushinagar
68. Ballia
69. Jaunpur
70. Sant Ravidas Nagar
71. Varanasi
72. Ghazipur
73. Mirzapur
74. Chandauli
75. Sonbhadra

INDEX

REGIONAL OFFICE HEAD QUARTER
STATE BOUNDARY
INTERNATIONAL BOUNDARY

MEERUT
NOIDA(G.B.N.)
Bareilly
AGRA
KANPUR
JHANSI
LUCKNOW
AYODHYA
GORAKHPUR
VARANASI
ALLAHABAD

सेक्टर-एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, प्रयागराज-211021

"अपने भाइयों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि मोम न बनें और आसानी से पिघल न जायें। छोटी-छोटी सी बातों के लिए ही हम अपनी भाषा को या संस्कृति को न बदलें।"

-राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष–1999)


Shantipuram, (Sector-F) Phaphamau,
Prayagraj-211021
Toll-free : 1800-120-111-333
www.uprtou.ac.in